

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यायाना भवन, सेक्टर-19, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : 8880098@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 09/08/2023 को संयुक्त 482वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 482वीं बैठक दिनांक 09/08/2023 को डॉ. बी.पी. नोन्डारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संयुक्त हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया-

1. डॉ. सैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 2. श्री एन.के. चन्दाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 3. श्री विनाय सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 4. डॉ. मनोज कुमार चौपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 5. श्री डी. राहुल वैकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया-

एजेन्डा आइटम क्रमांक-1: 480वीं एवं 481वीं बैठक क्रमशः दिनांक 27/04/2023 एवं 28/04/2023 से कार्यवाही विवरण से अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 480वीं एवं 481वीं बैठक क्रमशः दिनांक 27/04/2023 एवं 28/04/2023 को संयुक्त हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष रख प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-2: मौल/मुख्य खनिजों एवं कन्सट्रक्शन परियोजना तथा औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकल्पों के प्रस्तुतीकरण संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय किया जाना।

1. मेसर्स बी.सी.एम. केजनेस एलएलपी (बी.सी.एम. कोकिलाबेन पीएलआई अंबानी इन्फ्रस्ट्रक्चर्स पार्टनर- श्री आशिष मेहता), धाम-गोवा, लखनौल व जिला-रायपुर (लखियालय की नक्की क्रमांक 2354)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ इन्फ्रा2/ 423114/ 2023, दिनांक 27/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित होस्पिटल ब्लॉक-बीवा, तहसील व जिला-रायपुर निम्न खसत क्रमांक 666, 667/2, 668/2 (669/2), 670/1, 670/2 एवं 671 (672) कुल क्षेत्रफल-11,160 वर्गमीटर (2.76 एकड़) में प्रस्तावित बिल्टअप क्षेत्रफल 31,448.2 वर्गमीटर हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विवरण लम्बे 80 लम्बे होगा।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 03/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 462वीं बैठक दिनांक 09/05/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक मेहता, प्रोजेक्ट हेड एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पापेनिर इन्फ्रास्ट्रक्चर लेबोरेटरी एण्ड कन्सल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह शर्मा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नतीजा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. निकटतम स्थित क्रियाकलापी संबंधी जानकारी –

- निकटतम अस्पताल एका 2.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन रायपुर 2.8 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विधानसभालय, गांधी, रायपुर 11.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। छोकरा नाला 570 मीटर, बीवा तालाब 190 मीटर, खारुन नदी 17 कि.मी. एवं महानदी नहर 8 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होगा प्रतिवेदित किया है।

2. मू-स्वामित्व – पूर्व में भूमि खसत क्रमांक 666, 667/2, 668/2 (669/2), 670/1, 670/2 एवं 671 (672) श्री गोकर्ण दाल अग्रवाल, श्री महावीर ज्ञानद अग्रवाल, श्री अमल अग्रवाल एवं श्री प्रदीप अग्रवाल के नाम पर थी। तत्पश्चात् कानियन में भूमि डी.सी.एम. वेल्नेस एल.एल.पी. के नाम पर है। भूमि विभाग के संबंध में सेल डीक की प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. क्षेत्र स्विचा स्टेटमेंट –

S. No.	Area Statement	Details (Sq.m)	Percentage (%)
1.	Ground Coverage	3,906	35
2.	Internal roads & pathway	3,906	35
3.	Open parking	2,232	20
4.	Green Belt area	1,116	10
5.	Total Area	11,160	100%

4. फ्लोर संबंधी विवरण –

Floor	Built-up Area (Square meter)
Ground Floor	3,706.35
First Floor	2,587.50
Second Floor	3,001.50
Third Floor	2,355.50
Fourth Floor	2,622.70

Fifth Floor	1,515.70
Sixth Floor	1,515.70
Seventh Floor	1,515.70
Eight Floor	1,515.70
Upper basement	6,366.00
Lower basement	4,866.25
Total	31,448.2

प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि Upper basement के कुछ क्षेत्र को वाहनों के पार्किंग हेतु उपयोग किया जाएगा।

5. परियोजना प्रस्ताव द्वारा Upper basement एवं Open area में वाहनों के पार्किंग हेतु गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 198 Equivalent Car Space (ECS) की आवश्यकता होगी। तबत हेतु 452 Equivalent Car Space (ECS) रखा जाना इलाजित है।
6. अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अनुज्ञा क्रमांक 2937, दिनांक 06/06/2022 द्वारा जारी विकास अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. कार्यालय नगर पालिका निगम, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 21/11/2022 द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. प्रस्तावित कार्यालयों की सुविधाओं के उपयोग हेतु अनुमानित कुल 1,000 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।
9. वायु प्रदूषण नियंत्रण – निर्माण के दौरान उत्पन्न क्विजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढक कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल सिंक्राशन किया जाएगा।
10. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन –

Waste	Quantity	Disposal
Municipal Solid Waste	500 kg/day	The garbage will be segregated at source through collection bins into Bio-degradable waste and Non bio-degradable waste. Plastic waste will be given to the waste recyclers and bio-degradable waste will be disposed to the Municipal Corporation bins. Kitchen & food waste generated will be bio-composted within the project site premises & will be used as manure for greenbelt development.
Bio-medical waste	113 kg/day	Will be disposed as per Bio-medical Waste (Management and Handling) Rules.
Sludge from STP	10.7 kg/day	Stored in HDPE bags and will be used as manure / given to farmers.
Waste Oil	50 ltr/Annum	Will be given to SPCB approved vendors.

योग्य अपशिष्ट को उपचयन हेतु रायपुर नगर निगम को सौंपकर जमाया जाएगा। इस बाबत रायपुर पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रायपुर नगर निगम को ठोस अपशिष्ट को संग्रहण हेतु आवेदन किया गया है।

11. जीव विधिलता अपशिष्ट प्रबंधन –

Category	Quantity	Types of waste	Disposal
Yellow	approx 65 kg/day	Human anatomical wastes, Soiled wastes, expired or discarded medicines, chemical waste and liquid chemical waste, discarded bed sheets mattress, gown, masks, Microbiology, Biotechnology and other clinical laboratory wastes	Waste will be segregated in a Yellow bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
Red	approx 23 kg/day	Contaminated plastic wastes.	Waste will be segregated in a Red bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
White	approx 7 kg/day	Waste sharps including metals.	Waste will be segregated in a White bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
Blue	approx 18 kg/day	Metallic body implants and glasswares.	Waste will be segregated in a Blue bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
Total	113 kg/day		

12. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- जल खपत एवं रजोत – कंस्ट्रक्शन फेज में परियोजना हेतु कुल 10 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति मू-जल उपकरण टैंकर के माध्यम से की जाएगी। ऑपरेशनल फेज में परियोजना हेतु कुल 290 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलु हेतु 101 घनमीटर प्रतिदिन, फलसिंग हेतु 54 घनमीटर प्रतिदिन, लैब हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, लाण्ड्री (Laundry) हेतु 40 घनमीटर प्रतिदिन, रसोईघर में 28 घनमीटर प्रतिदिन, बलोर वॉशिंग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन तथा अन्य 10 घनमीटर प्रतिदिन) की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति रायपुर नगर निगम/मू-जल के माध्यम से की जाएगी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जल की आपूर्ति हेतु नगर निगम को आवेदन किया गया है, जो कि प्रक्रियामय है।
- जल प्रदूषण नियंत्रण – कंस्ट्रक्शन फेज में दूषित जल को उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोलरिड का निर्माण किया जाएगा। ऑपरेशनल फेज में दूषित जल की मात्रा 221 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होगी, जिसके उपचार

हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 200 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। जिस इन्फेक्शन हेतु ओजोनेशन प्रक्रिया का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। दूषित जल को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचार करता फल्ट्रींग, एच.टी. ए.सी. (HTAC) गैलरय एवं क्लोरिनेशन में उपशोध किया जाएगा।

- **घू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल घाटमण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ-जोन में आता है। जिसके अनुसार—
 - (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
 - (ब) घाटमण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्नेस्टिंग / इंटिग्रेटिव जल रिचार्ज के आधार पर घू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल घाटमण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रवधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्नेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- 13. **रेन वाटर हार्नेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल स्तरीयक 6,591.38 घनमीटर है। प्रस्तावित कार्यकाल के तहत रेन वाटर हार्नेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 60 नग रिचार्ज पिट (व्यास 2 मीटर एवं गहराई 4 मीटर) क्षमता का निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वाटर हार्नेस्टिंग व्यवस्था परिसर के पूर्व स्तरीयक को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएँ कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।
- 14. **विद्युत शक्ति** – परियोजना हेतु 3.478 किलोवाट विद्युत खपत होगी। विद्युत की आपूर्ति चलीसगढ़ राज्य विद्युत निगम कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वार्षिक आवश्यक हेतु 2,500 कं.की.ए. (2x1000 कं.की.ए. एवं 1x500 कं.की.ए.) का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट के विभिन्नो की उचाई प्रस्तावित विंडिंग की उचाई से 3 मीटर अधिक होगी।
- 15. **क्लोरिनेशन संबंधी विवरण** – परियोजना हेतु 1.118 वर्गमीटर (10 प्रतिशत) क्षेत्रफल में 236 नग क्लोरिनेशन किया जाना प्रस्तावित है।
- 16. **ऊर्जा संरक्षण उपकरण** – अल्टीक स्फार्च पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त किया जाना प्रस्तावित है। लेन्थ स्वीचिंग एवं ट्राई-वे में सोलर एल.ई.डी. लाइटिंग सिस्टम प्रस्तावित है। छत को कुल क्षेत्र के 1/3 हिस्से में सोलर पैनल लगाया जाना प्रस्तावित है।
- 17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत राज्य पत्र दिनांक 09/05/2003 के बिन्दु संख्या 4 में "That the Firm will maintain tree plantation over 12.50% of total land available and we will maintain 90% survival rate of total plantation done within premises." का उल्लेख है।
- 18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत राज्य पत्र दिनांक 09/05/2003 के बिन्दु संख्या 5 में "That the firm will give priority in employment to local peoples as per their qualification and Chhattisgarh Government Policy." का उल्लेख है।
- 19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/उद्योग से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देज के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लखित नहीं है।

ALL

0

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तय्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(3), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
21. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
6000	2%	120	Following activities at Raipur (application to Raipur Collector for land allotment)	
			Eco Park Niman VIP road, Raipur	123.94
			Total	123.94

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के तहत वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20,000 नम बीघों के लिए राशि 54,00,000 रुपये, पंशिंग के लिए राशि 7,25,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 7,50,000 रुपये, राख-रक्षाव आदि के लिए राशि 7,30,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 76,05,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 47,89,320 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार कुल 1,23,94,320 रुपये व्यय किया जाएगा। समिति का मत है कि प्रस्तावित क्षेत्र का भूमि संबंधी विवरण खसरावार, रकबा (पी-1 पी-2 सहित) जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के तहत वृक्षारोपण हेतु संबंधित पंचायत अध्यक्ष नगर निगम/कलेक्टर की सहमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा निम्नलिखित विषयों पर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. मेसर्स बी.सी.एम. वेलनेस एलएलपी (बी.सी.एम. कोरपोरेशन बीलगाई अंबानी इन्स्टिट्यूट, फर्टिनर- श्री अतिथि मेहता), को धाम-भोवा, लक्ष्मील व जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 888, 887/2, 888/2 (889/2), 870/1, 870/2 एवं 871 (872) में कुल क्षेत्रफल-11,160 वर्गमीटर (2.78 एकड़) में प्रस्तावित विलयन क्षेत्रफल 31,448.2 वर्गमीटर हेतु परिसिस्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का भूमि संबंधी विवरण खसरावार, रकबा (पी-1 पी-2 सहित) जानकारी एवं विस्तृत सी.ई.आर. (Detailed Project Report) तथा संबंधित पंचायत अध्यक्ष नगर निगम/कलेक्टर की सहमति प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए. चलीसागढ़ को प्रस्तुत करने की शर्त पर पर्यावरण स्वीकृति की अनुमति की जाती है।

राज्य सार्वजनिक पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिनियम (एस.ई.आई.ए.ए.), चलीसागढ़ को लघुनुसार सूचित किया जाए।

File

2. केदार सिंह/डीडी आर्किटेक्ट स्टेन माईन (जी- श्री नवीन कुमार अग्रवाल), ग्राम-चिड़ोडीह, तहसील-बरमजमगढ़, जिला-रायगढ़ (सविवालय का नस्ती क्रमांक 2347)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन पत्र - एसआईए/ सीजी/ एम्प्लॉय/ 420241/ 2023, दिनांक 24/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सवालय पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-चिड़ोडीह, तहसील-बरमजमगढ़, जिला-रायगढ़ स्थित खाना क्रमांक 247 एवं 248, कुल क्षेत्रफल-1.001 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-8,858 टन (3,330 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

उदात्तपर परियोजना प्रस्तावक को एस.आई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 08/05/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संस्कार सिंघनिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चिड़ोडीह का दिनांक 21/09/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1831/ख. लि./स्वा./2022 रायगढ़, दिनांक 30/12/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 281/ख.लि./स्वा./2023 रायगढ़, दिनांक 07/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 281/ख.लि./स्वा./2023 रायगढ़, दिनांक 07/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, पुल, नदी, रेल लाइन, अस्पताल, स्कूल, एनिकोट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एस.जी.आई. संबंधी विवरण - एस.जी.आई. श्री नवीन कुमार अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1481/कीमा/2022 रायगढ़, दिनांक 20/08/2022 द्वारा जारी की गई जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू-स्वामित्व** - भूमि खासतः क्रमांक 247 की सम्बन्ध राहिया, की स्थानगत राहिया, की धाम सिंह एवं बीनती कुलमयी राहिया तथा खासतः क्रमांक 249 की इतिषत एका के नाम पर है। भूमि खासतः क्रमांक 247 कुल एका 1.008 हेक्टेयर में से 0.887 हेक्टेयर एवं भूमि खासतः क्रमांक 249 कुल एका 0.58 हेक्टेयर में से 0.304 हेक्टेयर उत्खनन हेतु परिचोचना प्रस्तावक को प्राप्त है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र** - वन सम्बलसिखरी, धरमजयगढ़ वनमण्डल, जिला-राजगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.पि./1101 धरमजयगढ़, दिनांक 07/03/2022 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. गोमदा वन्यजीव अभ्यारण्य 150 कि.मी. एवं गुरु ज्योतिबास राष्ट्रीय उद्यान 180 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आवाटी धाम-किड़ोलीह 250 मीटर, स्कूल 1 कि.मी. एवं अस्पताल धरमजयगढ़ 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राजमार्ग 54 कि.मी. दूर है। माण्ड नदी 1.1 कि.मी. दूर है।
11. **पारिस्थितीकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परिचोचना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिफलाई पॉल्सुटेड एरिया, पारिस्थितीकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विस्तार** - जिवोलीयिकल रिजर्व 1,48,348 टन (57,057 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 43,290 टन (16,850 घनमीटर) एवं रिकवनेबल रिजर्व 38,881 टन (14,885 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,335 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। आवश्यकतानुसार सभी सेफ्टीइयूथ विधि का भी उपयोग किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.3 मीटर है एवं कुल मात्रा 1,324.5 घनमीटर है, इस मिट्टी को गैर माईनिंग क्षेत्र में संरक्षित बन रखा जाएगा तथा अधिकांश में खदान के पुनर्स्थापन हेतु उपयोग किया जाएगा। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक ड्रैगर से ड्रिलिंग किया जाएगा। क्वास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। लीज क्षेत्र में ऊपरी स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंकवर्क किया जाएगा। सर्वेक्षण प्रस्तावित उत्खनन का विस्तार निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,858
द्वितीय	8,858
तृतीय	8,858
चतुर्थ	8,858
पंचम	8,858

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन होती। जल की आपूर्ति सू-जल के माध्यम से की जायेगी। इस कार्य केन्द्रीय वास्तुशिल्प बौद्धिक सर्वोपयोगिता से अनुमति प्राप्त बन प्रस्तुत किया गया है।
14. **कुशारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 नम कुशारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़क/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल परियोजना के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
खदान के बाह्यक्षेत्र में (800 नम) कुशारोपण हेतु	21,000	2,100	2,100	2,100	2,100
पेंसिंग हेतु राशि	1,45,000	-	-	-	-
खाद हेतु राशि	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,84,500	1,84,500	1,84,500	1,84,500	1,84,500
इन्फ्रास्ट्रक्चर बेनिफिटिंग	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
कुल राशि = 13,10,800	3,93,300	3,29,400	3,29,400	3,29,400	3,29,400

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. **नैर माइनिंग क्षेत्र** – 2,351 वर्गमीटर क्षेत्र को टेम्परी लेबर कम एवं लीज क्षेत्र को नुक़ान में कुछ पीछे स्थित होने के कारण नैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।
17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति की समस्त विलक्षण से कार्य उचित निम्नानुसार विलक्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
15.5	2%	0.31	Following activities at Govt. Primary school Village- Chirodih Portable Drinking water facility (Aqueguard Crest)	0.159

			UV water purifier)	
			Plantation work	0.158
			Total	6.318

18. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
19. लीज क्षेत्र के नीचे अधिभूत कुओं की आवश्यकता पड़ने पर ही कटाई स्थान प्रतिक्रमा से अनुमति उपलब्ध ही किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित राशि का उपयोग प्रस्ताव अनुसार विदे गये कार्यों में ही कर के जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. कपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुलक्षण न करने, विखर न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःप्रयोग हेतु किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. क्यूबिडिब डस्ट एक्सपोजर के नियंत्रण हेतु नियमित जल सिंक्राव किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. कार्बोनिंग लीज क्षेत्र के अंदर स्थान वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित वीथी का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार विदे जाने हेतु सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में अहित नहीं है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सा.अ. 804(अ), दिनांक 14/09/2017 के अंतर्गत कोई प्रकल्प का प्रकल्प अहित नहीं है।
27. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (जेपरवाइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी. ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपलब्ध गठित त्रि-पक्षीय समिति से स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
28. वातावरण एन.जी.टी., दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पारिस्थितिक विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अभिज्ञान एक्सप्लेन नं. 188 जी.ओ. 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज सखार), जिला—उखनड़ के ज्ञापन क्रमांक 281 / ख.सि. / एच. / 2023 उखनड़, दिनांक 07 / 02 / 2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम—पिड़ोडीह) का सतह 1,001 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में सबीकूल/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक — मेल्स पिड़ोडीह आइंनटी स्टोन माईन (प्री- श्री नवीन कुमार अग्रवाल) को ग्राम—पिड़ोडीह, तहसील—बरमजगढ़, जिला—उखनड़ के खतरा क्रमांक 247 एवं 248 में स्थित साधारण पत्थर (सीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल—1,001 हेक्टेयर, क्षमता—8,858 टन (3,330 क्वीमीटर) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिकूल (एस.ई.आई.ए.), उखनड़ को खदानुसार सूचित किया जाए।

- मेल्स उखाड़ आइंनटी स्टोन माईन (प्री- श्री प्रताप सिंह), ग्राम—उखाड़, तहसील—मरवाही, जिला—बीरभोज—पेम्डा—मरवाही (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2348) ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 423384 / 2023, दिनांक 24 / 03 / 2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (सीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम—उखाड़, तहसील—मरवाही, जिला—बीरभोज—पेम्डा—मरवाही स्थित खतरा क्रमांक 1303 / 1, 1303 / 4, 1307, 1309 / 1, 1280 / 2 (समिल 1280 / 15 / 1), 1310, 1280 / 8, कुल क्षेत्रफल—2,181 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—23,109.8 टन (7,182 क्वीमीटर) प्रतिवर्ष है।

खदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., उखनड़ के ज्ञापन दिनांक 03 / 06 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 462वीं बैठक दिनांक 06 / 06 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संकेत में ग्राम पंचायत उभाड़ का दिनांक 02/10/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उत्तर की स्थापना के संकेत में ग्राम पंचायत उभाड़ का दिनांक 23/11/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - स्वामी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान एवम् स्वामी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (ख.प्रशा.) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीरला-पेम्डा-मरवाही के पृ. डायन क्र. 3005/2/खनि/सा.प्रशा./व.पो./2023 बिलासपुर, दिनांक 18/02/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीरला-पेम्डा-मरवाही के डायन क्रमांक 1429/खनिज शाखा/2023, बीरला-पेम्डा-मरवाही, दिनांक 21/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीरला-पेम्डा-मरवाही के डायन क्रमांक 1429/खनिज शाखा/2023, बीरला-पेम्डा-मरवाही, दिनांक 21/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनिकेट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संकेती विवरण - एल.ओ.आई. श्री प्रताप सिंह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीरला-पेम्डा-मरवाही के डायन क्रमांक 1313/खनिज शाखा/2022 बीरला-पेम्डा-मरवाही, दिनांक 20/12/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी कालावधि जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 1280/2 (सामिल 1280/15/1), 1303/1 श्री प्रताप सिंह, खसरा क्रमांक 1303/4, 1307, 1309/1, 1280/9 श्री गणेश, श्री गणुलाल, श्री नरेन्द्र व सुमी सुभद्रा एवं खसरा क्रमांक 1310 श्री बुद्धू के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसम्पदाधिकारी, मरवाही वनमन्डार, पेम्डारोड, जिला-बीरला-पेम्डा-मरवाही के डायन क्रमांक/तक.अधि./3453 पेम्डारोड, दिनांक 18/09/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवेदी घास-बेलसिरिज 300 मीटर, स्कूल घास-उभाड़ 4.75 कि.मी. एवं अस्पताल मरवाही 11.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15.70 कि.मी. एवं राज्यामार्ग 2.85 कि.मी. दूर है। हंसदेव नदी 7.3 कि.मी., नीसानी नाला 1.7 कि.मी., नहर 475 मीटर एवं तालाब 380 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितीकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित इण्डिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितीकीय

संबंधित क्षेत्र का प्रोचित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होगा प्रतिबंधित किया है।

12. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण - विद्योत्पन्निकृत रिजर्व 6,68,588 टन (2,37,710 घनमीटर), गार्डनेबल रिजर्व 1,57,948 टन (56,410 घनमीटर) एवं रिक्वायरेबल रिजर्व 1,50,000 टन (53,588 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 9,780 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेटीनार्ड्स विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में अपनी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर व कुल मात्रा 2,610 घनमीटर है। इस मिट्टी को 7.5 मीटर (गार्डन बाल्ट्री) क्षेत्र में पीलाकर कृशारेषण के लिए उपयोग किया जाएगा। ओवरबर्डिन की मोटाई 0.75 मीटर व कुल मात्रा 7,330 घनमीटर है, जिसका उपयोग रैम्प, होल-रोड, क्रकर, स्टासिंग के लिए बंध निर्माण में उपयोग किया जाएगा, सेम ओवर बर्डिन को लीज क्षेत्र में संचारित किया जाएगा एवं उत्खनित लीज क्षेत्र के पुनर्भरण में उपयोग किया जाएगा। बेच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। जैक हेमर से डिज़ाइन एवं कंट्रोल स्टासिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्वार संचालित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर होगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। सर्वेक्ष प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	20,000.20
द्वितीय	19,870.20
तृतीय	20,100.80
चतुर्थ	20,020.80
पंचम	18,797.80

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति न्यू-जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबद् सैन्ट्रल शास्त्र क्वॉटर अधीनस्थ से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. कृशारेषण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,680 नम कृशारेषण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की सीमा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)	
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान बाइवर्क/पट्टे मार्ग से उत्खनन भूल उत्खनन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पट्टे मार्ग हेतु	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
खदान की बाल्ट्री में (1,950 नम)	कृशारेषण (30 प्रतिशत जीवन पर) हेतु राशि	19,500	-	-	-	-
	जैसिंग हेतु राशि	1,53,000	-	-	-	-

कुल निवेश ₹	खार हेतु राशि	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500
	सिंचाई एवं पख- खार हेतु राशि	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल राशि = 18,70,000		4,80,000	2,97,500	2,97,500	2,97,500	2,97,500

- खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में रखरखन - लीज क्षेत्र के बाहें और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में रखरखन कार्य नहीं किया गया है।
- गैर माईनिंग क्षेत्र - लीज क्षेत्र में संयोजित क्षेत्र होने के कारण 120 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित खारी प्लान में किया गया है।
- कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से कार्य उपर्युक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
37.14	2%	0.74	Following activities at Govt. Primary School Kharkatola Village- Ujhadi	
			Installation of separate water tank for drinking	0.21
			Installation of UV water filter and its AMC	0.25
			Running water arrangement in toilets	0.20
			Donation of books related to Environment Conservation & Airera	0.10
Total			0.76	

- सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान से माईनिंग क्षेत्र में 800 वर्गमीटर क्षेत्र को ऊपरी मिट्टी/ जोकर बर्डीन की 1 मीटर की गहराई तक पूर्व से रखरखित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित खारी प्लान में किया गया है।
- ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सीपटी जेन में 1 मीटर की ऊंचाई तक संरक्षित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विकस्य न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

पुनर्भाव हेतु किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. स्टाफिंग का कार्य बी.जी.एन.एस. द्वारा अधिस्तुत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कनाये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. स्पेसिफिक अस्ट टल्सार्जिन के नियंत्रण हेतु नियमित जल विप्लव किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सत्य कृषारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. उत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बागमूड़ी मिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. किन्ती भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, खला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/कदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.अ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण ललित नहीं है।
29. भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 की common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 की writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में कृषारोपण कार्य के नॉनितरिय एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ओपरटॉइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन वा उत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी. ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में कृषारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरंत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सहायित कराया जाना आवश्यक है।
29. भारतीय एन.जी.टी., डिमिण्ड बैंक, नई दिल्ली द्वारा सत्येड फाण्डेड विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑर 2016 एवं अन्य) में दिनांक

13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) if a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-गोरखा-पेपुडा-मरवाही के ज्ञान क्रमांक 1429/खनिज सख्त/2023, गोरखा-पेपुडा-मरवाही, दिनांक 21/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निम्न है। आवेदित खदान (घान-उषाव) का सतह 2.181 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की शानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स उषाव आईनरी स्टोन माईन (जे- सी प्रताप सिंह) को घान-उषाव, तहसील-मरवाही, जिला-गोरखा-पेपुडा-मरवाही के खसत क्रमांक 1300/1, 1303/4, 1307, 1309/1, 1380/2 (सामिल 1380/15/1), 1310, 1280/9 में स्थित साधारण पत्थर (गीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.181 हेक्टेयर, क्षमता-20,108 टन (7.182 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु परिविष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), फलीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स साध्यापानी आईनरी स्टोन माईन और मेसर्स गिट्टी (जे- सी सुरेश कुमार गग्गी), घान-साजापानी, तहसील-कांसाबेल, जिला-जरापुर (सविद्यालय का नस्ती क्रमांक 2202)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 423204/ 2023, दिनांक 25/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गीम खनिज) खदान है। खदान घान-साजापानी, तहसील-कांसाबेल, जिला-जरापुर स्थित खसत क्रमांक 585/4 एवं 585/21, कुल क्षेत्रफल-1.438 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित परखनन क्षमता-13,715 टन (5,275 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिवोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, फलीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 03/06/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(ख) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 09/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संदीप कुमार गर्ग, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जमानवारी का अनावर्ति प्रमाण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनावर्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन एवं उत्खनन की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत साजापानी का अमरक दिनांक 11/12/2020 एवं दिनांक 08/02/2021 का अनावर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - स्वामी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो जमि अधिकारी, जिला-रायगढ़ को पु. ज्ञापन क्रमांक 438/अ.सि./स्व./2023 रायगढ़, दिनांक 28/02/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-जसपुर के ज्ञापन क्रमांक 688/खनि.सा./2023, जसपुर, दिनांक 03/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-जसपुर के ज्ञापन क्रमांक 688/खनि.सा./2023, जसपुर, दिनांक 03/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनिकट बांध एवं जल सार्वजनिक आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-जसपुर के ज्ञापन क्रमांक 488/खनि.सा./2022 जसपुर, दिनांक 09/12/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि सस्ता क्रमांक 588/4 श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग एवं सस्ता क्रमांक 588/21 श्री रामकुमार व सुषी सोहलया के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनावर्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसम्बलधिकारी, जसपुर वनसम्बल, जिला-जसपुर के ज्ञापन क्र./वा.सि./2022/2288 जसपुर, दिनांक 08/08/2022 से जारी अनावर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उत्तम संतो हूए वन विभाग से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-साजापानी 500 मीटर, स्कूल 2 कि.मी. एवं अस्पताल कलाबेल 6.5 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.85 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 13.9 कि.मी. दूर है। सुपरी नदी 2.5 कि.मी. दूर है।
11. परिसंरचनाओं/जीवसंरचनाओं संबंधित क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिंटिकली बिल्टकुटेड एरिया, परिसंरचनाओं

संबंधनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – त्रिविधता (कोयला, लिग्नाइट, गैस) रिजर्व 2,24,018 टन, गैस रिजर्व 88,575 टन एवं लिग्नाइट रिजर्व 81,717 टन हैं। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,839 वर्गमीटर है। खनन करस्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8.3 मीटर है। लीज क्षेत्र में खोद करस्ट की मोटाई 0.3 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,108.3 घनमीटर है, इसकी मिट्टी को लीज क्षेत्र के उत्तर-पश्चिमी भाग में 1,200 वर्गमीटर क्षेत्र (1.78 मीटर चौड़ाई) में संरक्षित कर सम्भारित किया जाएगा। क्षेत्र की लंबाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर है। खदान की समाप्ति आयु 5 वर्ष है। जैव हैबर से डिजिटिंग किया जाएगा। क्लैमिंग प्रस्तावित नहीं है। लीज क्षेत्र में कृषि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,300 वर्गमीटर होगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षा प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,715
द्वितीय	13,715
तृतीय	13,715
चतुर्थ	13,715
पंचम	13,715

13. जल आपूर्ति – परिष्करण हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत सेंट्रल हाइड्रो पॉवर ऑथोरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए रकित 38,000 रुपये, कंसिंग के लिए रकित 1,45,000 रुपये, खाद के लिए रकित 4,000 रुपये, रख-रखाव एवं मिट्टाई आदि के लिए रकित 1,84,500 रुपये, इस प्रकार कुल रकित 3,68,500 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल रकित 7,68,500 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,839 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. जारी होने से पूर्व से लीज क्षेत्र का कुछ भाग उत्खनित है। साथ ही धनि निरीक्षण, जिला कार्यालय जयपुर के दिनांक 31/08/2022 द्वारा स्थल निरीक्षण पत्रात् प्रतीतिनद्ध नील खनिज नियम 2018 के नियम 6(ख) के तहत खनिज उपलब्धता के संदर्भ में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आर्सेनित क्षेत्र लगभग 12 मीटर चढ़ाई के रूप में है, जिसमें सरफेस आकार कार्य के रूप में खनिज उपलब्ध है। घुट हील में भी खनिज का परस्पर उपलब्ध है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जीव उत्पत्ति नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ग्रीन बेल्ट माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 7(a) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

एक मानक शर्त के अनुसार माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े लेवटी जॉन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. गैर माईनिंग क्षेत्र – लीज क्षेत्र में 252.28 वर्गमीटर क्षेत्र को डील रोड, रैप एवं टॉयलेट हेतु एवं 1,200 वर्गमीटर क्षेत्र को काली मिट्टी/जोकर बर्सेन मण्डारित करने हेतु गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित खासि प्लान में है।
18. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से खासि उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
23.50	2%	0.47	Following activities at Govt primary school Village- Sukhbaaspara (Sajapani)	
			Portable Drinking water Facility	0.1599
			Plantation work	0.312
			Total	0.4719

19. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
20. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में किए जाने वाले वृक्षारोपण हेतु पीसी का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
21. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंदर निर्धारित रकम का उपयोग पर्यावरण के हित के लिए किये जाने वाले बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान खानों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर क्षेत्र में पेंसिंग करके वृक्षारोपण करने एवं उन कुदों को रख रखाव इस प्रकार करने जिससे

लक्षित 80 प्रतिशत से अधिक वृक्ष लक्षित व स्वस्थ रहें। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. ऊपरी मिट्टी को भण्डारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का उपयोग अन्य कार्यों में न करने हेतु एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःस्थाप हेतु किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीर्णोद्धार पर्यावरणीय दायित्व (E.O.R.) तहत निर्धारित शक्ति का उपयोग उसमें दिए गए कार्यों में ही कार्य करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर लीज क्षेत्र में कंट्रोल ब्लानेटिंग का कार्य निवमानुसार अनुमति लेकर डिस्ट्रिक्ट लाइसेंस वालक तथा दस ब्लेस्टर द्वारा ही कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. अतीवगत आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लक्षित नहीं है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्सर्जन का प्रकरण लक्षित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वशर्तों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख बनते हुए वन विभाग से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्थूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, कॅम्पिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. मिनरल कनसेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बाजमड़ी मिनरल द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, खलाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. माईन लीज क्षेत्र के कारी और 7.5 मीटर चौड़े सेपटी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपकारी उपायों (Beneficial Measures) के संकलन में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग विषयक कार्य के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये सुनिश्चित

उपरोक्त बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिती तथा खनिकर्ष, इटावा की भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिती तथा खनिकर्ष एवं पर्यावरण को इति पत्रुंकने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को जीव उत्खनन आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त बांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परिचोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिती तथा खनिकर्ष एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

8. मेसर्स रानीद डिनस अर्ध को स्वारी एम्ब विन्ड विन्ड विन्ड जिला प्लांट (जी- श्री अजय कुमार साहू), ग्राम-रानीद, तहसील-पाननद, जिला-जांजगीर-बांग (सचिवालय का नक्का क्रमांक 2301)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एसआईए/ 420218/2023, दिनांक 26/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गोम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-रानीद, तहसील-पाननद, जिला-जांजगीर-बांग स्थित खसरा क्रमांक 1488/2, 1488, 1489 एवं 1490/4 कुल क्षेत्रफल-1.337 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता-400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिचोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 08/05/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अजय कुमार साहू, प्रोव्हाइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन, परीक्षण करने पर पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-बांग के ज्ञापन क्रमांक 171/गोम खनिज/र.ज. /2023 जांजगीर, दिनांक 08/01/2023 द्वारा जारी संशोधित ज्ञापन पत्र अनुसार उक्त प्रस्तावित उत्खनन पट्टा क्षेत्र में 800 मीटर की परिधि में आम का स्वीच निरंक है एवं ग्राम की आबादी 800 मीटर की दूरी पर है। 1000 मीटर की परिधि में स्थित अन्य विन्ड पट्टा की संशोधित जानकारी निम्नानुसार है-

1. आवेदित क्षेत्र के पूर्व दिशा 1100 मीटर में श्रीमती सुनिता अग्रवाल के नाम पर खनिज मिट्टी (इंट-विन्ड विन्ड पट्टा) उत्खननपट्टा अवधि 07.07.2009 से 08.07.2009 तक के लिए स्वीकृत है।

2. आवेदित क्षेत्र के पूर्व दिशा में 920 मीटर में पूर्व में निर्मित विन्ड स्थित है, जो कि विधित है। जिसका कार्यालय में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

3. आवेदित क्षेत्र को पूर्व दिशा में घसित विमनी 570 मीटर में पूर्व में निर्मित विमनी स्थित है, जो कि शिथिल है। जिसका कार्यालय में कोई भी अपिलेस उपलब्ध नहीं है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा को एन.एल से अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदित क्षेत्र से 1 कि.मी. की परिधि में अन्य विमनी स्थित होना प्रदर्शित हो रहा है एवं उक्त प्रमाण पत्र में स्थापित विमनियों को शिथिल होना बताया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि विमनी के संघर्ष में स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। अतः कलेक्टर स्तरीय स्तर से 1 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई लीज/ईट मट्टा संघर्षित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र बनाया जाना आवश्यक है। साथ ही खदान से निकटतम आबादी क्षेत्र संबंधी प्रमाण पत्र स्तरीय विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श अन्ततः सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि परियोजना प्रस्तावक को कलेक्टर स्तरीय स्तर से 1 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई लीज/ईट मट्टा संघर्षित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र एवं खदान से निकटतम आबादी क्षेत्र संबंधी प्रमाण पत्र स्तरीय विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने तथा समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त पुनः प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. मेरसि यू.के. स्टील इन्डस्ट्रीयल एरिया उरला, ग्राम-सरोरा, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नसी क्रमांक 2348)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 423370/ 2023, दिनांक 26/03/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्डस्ट्रीयल एरिया उरला, ग्राम-सरोरा, तहसील व जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 272/5, 272/6, 272/7 एवं 272/8, कुल क्षेत्रफल-1.818 हेक्टेयर में नि-रोल स्टील प्रोडक्शंस क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनिर्देश स्पष्ट 3 करोड़ होना।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 08/06/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक अडवाल, फॉर्मर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. जल एवं वायु सम्पत्ति -

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ नवीनतम संकल्प मंडल, रायपुर द्वारा नि-रोल स्टील प्रोडक्शंस क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्पत्ति नवीनीकरण दिनांक 08/06/2018 को जारी की गई, जो दिनांक 30/04/2024 तक वैध है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सन्धि शर्तों के चलन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सन्धि शर्तों के चलन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी -

- समीपस्थ आवासीय शरीर 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन रावपुर 4.8 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, मान्, रावपुर 18.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.1 कि.मी. दूर है। खासन नदी 7.1 कि.मी. दूर है।
 - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, परिलिखितक्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्य क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया है।
3. मृ-स्वामित्व - मृ-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भूमि खसरा क्रमांक 272/5, 272/6 एवं 272/7 केसारी मृके, स्टील द्वारा श्री विजय अग्रवाल, श्री मोहन अग्रवाल व श्री दीपक अग्रवाल एवं खसरा क्रमांक 272/8 मेलर्स मृके, स्टील द्वारा श्री विजय अग्रवाल, श्री मोहन अग्रवाल के नाम पर है। साथ ही पार्टनर डीड (श्री विजय अग्रवाल, श्री मोहन अग्रवाल व श्री दीपक अग्रवाल) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

4. संभव पूर्णता स्टेटमेंट -

S.No.	Land use	Area (SQM)
1.	Rolling Mill Area	2,908.80
2.	Raw Material Area	1,153.52
3.	Finished Goods Area	888.80
4.	Parking Area	667.40
5.	Green Belt Area	5,009.60
6.	Labour Quarters	185.00
7.	Office	123.50
8.	Temple	60.00
9.	Road Area	4,252
10.	Open Area	901.38
Total		16,180

समिति का मत है कि कुल क्षेत्रफल का कम से कम 33 प्रतिशत क्षेत्रफल में वृक्षारोपण किया जाने हेतु से-आउट प्लान में यशस्वि तुर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. रॉ-मटेरियल -

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets	31,500	Open Market	By Road

6. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी -

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Re-heating Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products - 30,000 TPA

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु उच्च दक्षता का सबर लगाया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरोक्त विस्तीर्ण से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सन्मान्य घनमीटर रखा जाता है। पर्यावरणीय अल्ट्रासोनिक नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाती है।
8. शैल अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था - रोलिंग मिल से मिल स्कैल- 800 टन प्रतिदिन एवं एम्ब कटिंग - 700 टन प्रतिदिन अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्कैल एवं एम्ब कटिंग को समीपस्थ स्टील जर्मीन इकाई को विक्रय किया जाता है। साथ ही कुछ अपशिष्ट 0.1 किलोलीटर प्रतिदिन जनित होता है, जिसका उपयोग मशीनों में लुब्रीकेंट के लिए किया जाता है।
9. जल प्रबंधन व्यवस्था -
- जल खपत एवं स्क्रैप - परियोजना हेतु प्रारंभ में कुल 8 घनमीटर (गन टाईम) जल की आवश्यकता होती है। अब नियमित संचालन हेतु परियोजना हेतु शैल वीटर कुल 5 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन एवं डीन बेल्ट एवं बस्ट स्कैलन हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन) उपलब्ध किया जाता है। जल की आपूर्ति मू-जल से की जाएगी। मू-जल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल ग्राउन्ड वाटर अथॉरिटी से 3 घनमीटर प्रतिदिन हेतु दिनांक 17/01/2022 द्वारा जारी अनुमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
 - जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - औद्योगिक प्रक्रिया से कूलिंग उपरोक्त द्वारा दूषित जल को उठा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। सूक्ष्म निस्तारण की स्थिति रखी जाएगी।
 - मू-जल उपयोग प्रबंधन - परिवर्तन स्थल सेंट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार-
 - (अ) गृह एवं मजदूर छातों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाता है।
 - (ब) ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज हेतु अल्गाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्बरिंग /ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर मू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिने जाने का प्रावधान है। अल्ट्रासोनिक द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्बरिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।
 - रेन वीटर हार्बरिंग व्यवस्था - रेन वीटर हार्बरिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
10. विद्युत आपूर्ति स्रोत - परिवर्तन हेतु कुल 3 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति एनटीएसए राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। समिति का मत है कि डी.डी. की स्थापना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. वृक्षारोपण संबंधी जानकारी – हरित परियोजना के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.533 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,380 नग चौबे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में उद्योग परिसर के भीतर 100 नग चौबे रोपित किये गए हैं।
12. इसूतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावका द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 दिसम्बर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक किया गया। उक्त के संबंध में सूचना 05/04/2023 को दी गई।
13. भारत सरकार, सर्वोच्च न्यायालय एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वोच्च न्यायालय से भारत सरकार, सर्वोच्च न्यायालय एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिजल्टिंग इनवायर्नमेंट इम्पैक्ट्स क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इन्डस्ट्रीज (थेन्स एण्ड नॉन-थेन्स) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project proponent shall submit the plant layout plan of minimum 33% greenbelt area of total land area alongwith KML file.
- ii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.
- iii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- iv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- v. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- vi. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.
- vii. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.
- viii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

- ix. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(II) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- x. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xi. Project proponent shall submit CEM proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य सार्वीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण (एम्.ई.आर्.ए.ए.) प्रतीसगड को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेराल बुझगहन लाईन फ्लोन क्वारी (जे- श्री आशीष अडवाल्, ग्राम-बुझगहन, तहसील-सिग्गा, जिला-बलीदाबाजार-नाटापरा (सचिवालय का नक्सी क्रमांक 2380) खीनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एम्.ई.आर्.ए.ए./ सीजी/ एम्.ई.आर्.ए.ए./ 423169/ 2023, दिनांक 28/08/2023 द्वारा टी.जी.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित पुरा पत्थर (पीन खनिज) खदान है। ग्राम-बुझगहन, तहसील-सिग्गा, जिला-बलीदाबाजार-नाटापरा स्थित खसरा क्रमांक 173, 174, 175(पार्ट) एवं 176(पार्ट), कुल क्षेत्रफल-2.91 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-25,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एम्.ई.ए.सी. प्रतीसगड को ज्ञापन दिनांक 03/08/2023 द्वारा जस्टुडीकरण हेतु सूचित किया गया।

बीटक का विवरण -

(अ) समिति की 482वीं बीटक दिनांक 09/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष अडवाल्, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निश्चिती पार्श्व गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बुझगहन को दिनांक 18/01/2011 का अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलान किया क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम-संचालक (अग्नि. प्रशा.) जिला-बलीदाबाजार-नाटापरा से ज्ञापन क्रमांक/तीन-8/ए.अ./2022, दिनांक 20/10/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. 800 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के डायन क्रमांक 919/टीन-8/2022 बलीदाबाजार, दिनांक 24/11/2022 अनुसार आवंटित खदान से 800 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 9.278 हेक्टेयर हैं।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के डायन क्रमांक 919/टीन-8/2022 बलीदाबाजार, दिनांक 24/11/2022 द्वारा जारी प्रथम पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनिक, बांध एवं पारंपरागुर्त अदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण – एल.ओ.आई. की आरंभ अद्यवाल के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के डायन क्र. 821/मौ.खनिज/उ.प./2020 बलीदाबाजार, दिनांक 10/12/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि कबत संचालनालय सीमित तथा खनिकर्त्, नका रायपुर अटल नगर के पु. डायन क्र. 915/खनि 02/उ.प.-अनु. निष्ठा./न.क्र. 60/2017(4) नका रायपुर, दिनांक 07/02/2023 के अनुसार "खलीसागढ़ गौन खनिज नियम, 2015 में जारी संशोधित अधिसूचनाएं दिनांक 28/08/2020 (प्रकाशन दिनांक 30/08/2020) के नियम 42 के उप-नियम (5) परन्तुक के तहत संचालक को प्रदाता अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं जखनियपट्टा स्वीकृति आवेग जारी करने हेतु अतिरिक्त समझावधि प्रदान किया जाता है।" होना बताया गया है।
7. भू-स्वामित्व – भूमि खसरा क्रमांक 173, 174, 175 की दितीय अद्यवाल एवं खसरा क्रमांक 176 सीमाती रसा के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विधान का अनापत्ति प्रमाण पत्र – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की दायताधिक दूरी का उत्लेख करते हुए वन विधान से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी घान-दुडगहन 1.3 कि.मी., स्कूल घान-दुडगहन 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल कुईला 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.1 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविकिरता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोन्पुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविकिरता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,18,250 टन एवं साईनेबल रिजर्व 1,54,726 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,134 वर्गमीटर है। औपन कास्ट लेनी केईन्डईन्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित

अधिकतम गहराई 4 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल गांज 22,878 घनमीटर है। बेंब की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्टासिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में प्रहार स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का मिश्रण किया जाएगा। वर्षावाह प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	25,000
द्वितीय	25,000
तृतीय	25,000
चतुर्थ	25,000
पंचम	25,000

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति घाम पंचायत द्वारा टीकर के माध्यम से की जायेगी। इस मात्रा घाम पंचायत का अनुपलब्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल गांज 22,878 घनमीटर है। जिसमें से 8,124 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (साईन बाउण्डरी) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण किया जाएगा एवं शेष 14,752 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के समीपस्थ सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 172/3, एका 2,83 हेक्टेयर) में संचयित कर संरक्षित रखा जाएगा। समिति का मत है कि 7.5 मीटर क्षेत्रफल 8,124 घनमीटर क्षेत्र में 28' का स्तूप बनाये गये जाने पर तकनीकी दृष्टिकोण से 8,124 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर क्षेत्रफल 8,124 घनमीटर में रखा जाना संभव नहीं है, अतः ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना की संशोधित जानकारी ई.आई.ए. के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. राष्ट्रीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंब, नई दिल्ली द्वारा सतलुज पारमैशिय विस्मड भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एपिलेटेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SELAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. सर्वोच्च सर्वेक्षक (खनिज शक्ती), जिला-बलीदाबाजार-बटावावा के द्वारा इनांक 819/तीन-8/2022 बलीदाबाजार, दिनांक 24/11/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 9.278 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (शाम-बुझनहन) का रकबा 2.91 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (शाम-बुझनहन) को मिलाकर कुल रकबा 12.188 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक का कवरटेज निर्दिष्ट होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गई।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से प्रकरण 'बी' श्रेणी की होने के कारण मातृ संस्कार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिचालन मंत्रालय द्वारा जारी, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्न ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायर्स इम्प्लायमेंट क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे जोड़ गईं निम्न प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई-
 - i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
 - iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iv. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
 - v. Project proponent shall submit the revised top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
 - vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
 - vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
 - x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
 - xii. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating

- the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- iii. Project proponent shall undertake plantation (tree species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of plants of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
 - iv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
 - v. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
 - vi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
 - vii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स श्री अविशक्ति स्टोन (प्री- श्री आनंद प्रसाद गुप्ता, बझाबगई आर्टिजनी स्टोन कार्बाईंग), ग्राम-बझाबगई, तहसील व जिला-जरापुर (राजिवालय का नस्ती क्रमांक 2383) ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीपी/ एनआईएन/ 423515/ 2023, दिनांक 28/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सलबाल पत्थर (ग्रीन सनिज) खदान है। खदान ग्राम-बझाबगई, तहसील व जिला-जरापुर स्थित खसरा क्रमांक 680/2, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित सलबालन क्षमता-38,712 टन (14,120 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिशोधन प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 03/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 882वीं बैठक दिनांक 09/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आनंद प्रसाद गुप्ता, डीपटाईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. ग्राम पंचायत का अनाधिकृत प्रमाण पत्र – राजधानी के संबंध में ग्राम पंचायत बहाबनई का दिनांक 09/08/2022 का अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. छात्रावास योजना – जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-जसपुर के पृ. प्रमाण क्रमांक 442/ख.नि./सा./2023 जसपुर, दिनांक 28/02/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-जसपुर के प्रमाण क्रमांक 687/खनि.सा./2023 जसपुर, दिनांक 03/03/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निर्णय है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-जसपुर के प्रमाण क्रमांक 687/खनि.सा./2023 जसपुर, दिनांक 03/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एकल खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुर, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनिकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण – एल.ओ.आई. मेसर्स सी आदि सक्ति स्टोन के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-जसपुर के प्रमाण क्रमांक 481/खनि.सा./2022 जसपुर, दिनांक 18/12/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी कैंपटा जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. भू-स्वामित्व – भूमि खसत क्रमांक 880/2 श्री देवलाल के नाम पर है। राजधानी हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र – कार्यालय वनसम्पदाधिकारी, जसपुर वनसम्पदा, जिला-जसपुर के प्रमाण क्र./वा.वि./2022/4718 जसपुर, दिनांक 07/11/2022 से जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवासीय ग्राम-बहाबनई 750 मीटर, स्कूल ग्राम-बहाबनई 1 कि.मी. एवं अस्पताल लोदाम 8.5 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.9 कि.मी. एवं राजधानी 21.7 कि.मी. दूर है। संज नहीं 240 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता सर्वेक्षणशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अणुसंयोजित, केंद्रीय प्रबंधन नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पील्डुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय सर्वेक्षणशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खनिज संपदा एवं खनिज का विवरण – जियोलाजिकल रिजर्व 3,12,000 टन (1,23,000 घनमीटर), साइनेबल रिजर्व 1,83,560 टन (70,800 घनमीटर) एवं निकटवर्ती रिजर्व 1,65,204 टन (63,540 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर

घोड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,154 वर्गमीटर है। औपम कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। आवश्यकतानुसार सेमी मेकैनाइज्ड विधि का भी उपयोग किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.2 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,829.2 घनमीटर है, ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के पूर्वी भाग में 1,200 वर्गमीटर क्षेत्र में संरक्षित कर रखा जाएगा एवं पुनः भराव हेतु उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लॉकिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में ऊपर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षाकाल प्रस्तावित उत्खनन का किराया निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	38,712
द्वितीय	38,712
तृतीय	38,712
चतुर्थ	38,712
पंचम	38,712

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में नटल वायुमय बीटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. कुशलरोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चट्टी में 800 गम कुशलरोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 28,000 रुपये, पौंसिंग के लिए राशि 1,45,000 रुपये, खाद के लिए राशि 4,000 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,84,800 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,61,800 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 7,88,200 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु पट्टकवार व्यव का किराया प्रस्तुत किया गया है।
15. खदान की 7.5 मीटर की घोड़ी सीमा चट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. नीर माइनिंग क्षेत्र - लीज क्षेत्र में 242.38 वर्गमीटर क्षेत्र को डील रोड, रैव एवं टीवलेट हेतु एवं 1,200 वर्गमीटर क्षेत्र को ऊपरी मिट्टी/लोडर बर्डेन सम्भारित करने हेतु नीर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित कार्टी प्लान में है।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष वित्तीय से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

26	2%	0.52	Following activities at Govt. Primary School Village- Barabahal	
			Portable drinking water facility	0.159
			Plantation work	0.364
			Total	0.523

18. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
19. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में किए जाने वाले वृक्षारोपण हेतु बीघों का लेन, पेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना अत्यावक है।
20. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अन्तर निर्धारित शक्ति का उपयोग पर्यावरण को हित के लिए किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान वाली तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर क्षेत्र में पेंसिंग कराकर वृक्षारोपण करने एवं उन वृक्षों के रख रखाव इस प्रकार करने जिससे रोपित 90 प्रतिशत से अधिक वृक्ष जीवित व स्वास्थ्य पूर्व। इस आशय का सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. ऊपरी मिट्टी को सम्भारित कर संतुलित रखे जाने हेतु मिट्टी का उपयोग अन्य कार्यों में न करने हेतु एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःप्राप्त हेतु किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जॉर्जेंट पर्यावरणीय दायित्व (G.E.A.) तहत निर्धारित शक्ति का उपयोग उसने किए गए कार्यों में ही खर्च करने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर लीज क्षेत्र में कंट्रोल स्ट्रॉकिंग का कार्य नियमानुसार अनुमति लेकर विस्फोटक लाइसेंस धारक तथा दस ब्लान्कटर द्वारा ही कराये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. प्रदूषण नियंत्रण आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अस्ट चालर्जन को रोकने हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई चालर्जन का प्रकल्प लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का सर्वेक्षण करती हुए वन विभाग से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर से किए जाने वाले दूआलेपन हेतु बीघों का रोपण, कीटना, खाद एवं सिंचाई तथा रात-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. निम्नलिखित कन्योदान नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाजपुरी मिल्हाना द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बखित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तयानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-3

परियोजना प्रस्तावकों द्वारा बखित बखित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पत्रवात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. नैसर्ग पम्परी जिला अर्थात्से ज्वारी एन्ड किल्ला सिमरी परांट (प्रि- बीन्दी ललिता जायसवाल), ग्राम-पम्परी, तहसील-बाहुकनगर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2233)

ऑनलाइन आवेदन - इपीएल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 411134 / 2022, दिनांक 17 / 12 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (मीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-पम्परी, तहसील-बाहुकनगर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 1280 एवं 1281, कुल क्षेत्रफल-1.039 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता-1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तयानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., बरलीसगढ़ के द्वारा दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनय कुमार जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्तित प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पंजी की दिनांक 20/08/2020 का अनापत्तित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - ज्वारी प्लान एलांग विध ज्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के पु. ज्ञापन क्रमांक 742/खनिज/खनि.2/2021, कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 22/08/2021 द्वारा अनुमोदित है। तत्पश्चात् खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1828/खनिज/खनि.2/2022, कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/01/2022 द्वारा उत्खनन योजना के अख्यत पत्र में नियमानुसार 50 प्रतीक स्लाई प्लेज का उपयोग किये जाने हेतु उत्पादन क्षमता में संशोधन किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि निकटतम आबादी ग्राम-पंजी 500 मीटर की दूरी पर होने के कारण प्रस्तुत उत्खनन योजना में विगनी/किलन के प्रस्ताव को हटाकर मिट्टी उत्खनन ही किया जाएगा। तदनुसार संशोधित अनुमोदित उत्खनन योजना खनि अधिकारी से अनुमोदन कराकर प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा केवल मिट्टी उत्खनन हेतु विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज साक्षा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 502/खनिज/उखनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 08/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की मीटर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज साक्षा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 503/खनिज/उखनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 08/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मराठ्ट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनिकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. बीमती ललिता जायसवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज साक्षा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्र. 289/पीए खनिज/उत्खननपट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 16/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी कैंसल जारी दिनांक से 1 वर्ष हेतु वैध थी। तत्पश्चात् रांवालनाथ, रमिणी तथा खनिज, प्रतीसमण्ड के पु. ज्ञापन क्रमांक 2419-A/खनि 02/उ.प-अनुमिषा./म.क्र.60/2017(1) तथा राणपुर, दिनांक 13/08/2022 द्वारा एल.ओ.आई. में कैंसल कृति सबत् पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 14/03/2023) हेतु वैध है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि सारा क्रमांक 1283 श्री रत्नेश, श्री राजत कुमार, बीमती फुलमती एवं उमरा क्रमांक 1281 बीमती ललिता जायसवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्तित प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, जिला-बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/वा.वि./2021/859 बलरामपुर, दिनांक 22/02/2021 से जारी अनापत्तित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर है।

10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवासीय इलाक़ा-चंडी 500 मीटर, स्कूल इलाक़ा-पंचनी 780 मीटर एवं अस्पताल वाड्डकनगर 18.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 39.9 कि.मी. एवं राजमार्ग 11.50 कि.मी. दूर है। कालसोब नदी 8.30 कि.मी., बीसमी नाला 350 मीटर, तालाब 540 मीटर एवं नहर 2.2 कि. मी. दूर है।
11. परिसिध्दिकीय/जैवविकसिता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिसि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्धकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिंटिकली पोस्टुटेड एरिया, परिसिध्दिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविकसिता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.58 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरोवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में नटल वाचमक बोर्ड अधीनर्ती की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 118 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,180 रुपये, कीटना के लिए राशि 80,000 रुपये, खाद के लिए राशि 5,900 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,25,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,92,080 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 5,25,200 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायिर्ता (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के माध्यम विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
17.34	2%	0.3468	Following activities at nearby Govt. Primary School Village-Pansatola	
			Water Tank - Installation for Drinking water and Pipeline, Tap, Sanitary ware, drain line & others for Toilet	0.27
			Donation of Elms & Books related to Environment Conservation	0.10
Total			0.37	

15. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

16. फ्यूजिटिव डस्ट उखारने के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. माइनिंग लीज क्षेत्र की अंदर खदान वृद्धारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निक्षेपों के तहत बाठम्ही पिल्लरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का पृथित जल का ज्वाल प्रकृतिक जल स्रोत, टालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिवृत्त का.अ. 804(3), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तरादेश का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा उत्तरादेश सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित लीज क्षेत्र में कोयल मिट्टी उत्खनन किये जाने हेतु संबंधित व अनुमोदित उत्खनन योजना सख्त अधिकारी से अनुमोदन कराकर प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त खानगी कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्त एच.ई.ए.सी., उत्तीसगढ़ से आपन दिनांक 15/03/2023 के परिषद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/02/2023 को जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 09/05/2023

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रिहाई/व्यवस्थापन इन्वॉल्वमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वार्टी वलोअर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-रावणद के पु, आपन क्रमांक 302-304/ख.लि./सा./2023, रावणद, दिनांक 08/02/2023 द्वारा जारी संबंधित अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार जियोमॉर्फिकल रिजर्व 20,780 घनमीटर माइनिबल रिजर्व 12,185 घनमीटर एवं रिजर्वेबल रिजर्व 18,208 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 475 वर्गमीटर है। आपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेस की खंवाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। कच्चे ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 80 प्रतिशत फाई ईंट का उपयोग किया जाएगा। खदान की संबंधित आयु 12 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। विषयी लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है। उत्खनन प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,500
द्वितीय	1,500
तृतीय	1,500
चतुर्थ	1,500
पंचम	1,500

2. गैर माइनिंग क्षेत्र - लीज क्षेत्र के 100 घनमीटर क्षेत्र को अधिकृत एवं पेस्ट सेटलर निर्माण हेतु गैर माइनिंग क्षेत्र रखा जाना है, जिसका उत्प्रेषण संबंधित अनुबंधित माइनिंग प्लान में किया गया है।
3. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के सैनियटिंग एवं पर्यावरण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (जोयन्टईयर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या अतीरसमूह पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) सहित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. सामंतीय एन.जी.टी., डिमिस्ड बैंक, नई दिल्ली द्वारा सायट पर्यावरण विस्तृत माता समकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अतिरिक्त एन.डी.एन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के द्वारा क्रमांक 502/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर दिनांक 08/08/2021 को अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-पन्धरी) का क्षेत्रफल 1.039 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गई।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मैसर्स पन्धरी जिला अर्बकले क्वार्टी एन्ड फिक्स विमनी प्रांट (प्री- सीमाती ललिता जायसवाल) को ग्राम-पन्धरी, तहसील-बाहुकनगर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के खसरा क्रमांक 1280 एवं 1281 में स्थित निरूटी उत्खनन (बीएन खनिज) खदान (बिना विमनी मददा के), कुल क्षेत्रफल-1.039 हेक्टेयर, क्षमता-1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-04 में वर्णित शर्तों के अधीन शर्तों पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति दी गई।

राज्य सार्वीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), अतीरसमूह को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. पेशवा जमीन मिनरल (अ.- सीमाती इंदिरा बांदा), ग्राम-सोडामपुर, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलीदाबाजार-बाटाबाटा (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1888)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 243802/ 2021, दिनांक 08/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमिटी होने से ज्ञापन दिनांक 28/04/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कथित जानकारी दिनांक 05/05/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह समतल विस्तार का प्रकल्प है। यह पूर्व से संघारित चूना पत्थर (सीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सोडामपुर, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलीदाबाजार-बाटाबाटा स्थित खसरा क्रमांक - 588/8, 589/2, 587/1, 588/1 एवं 589/1, कुल क्षेत्रफल - 0.428 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-22,828.28 टन प्रतिवर्ष है।

खदान परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु सीमाती इंदिरा बांदा, प्रीमटाईटल उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 588/8, 589/2, 587/1, 588/1 एवं 589/1, कुल क्षेत्रफल-0.428 हेक्टेयर, क्षमता-3,700 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण सभाघर निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 04/12/2016 को जारी की गई।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि चूंकि यह समतल विस्तार का प्रकल्प है। अतः एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- निर्धारित शर्तानुसार 100 नम नमूनेक्षण किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा) जिला-बलीदाबाजार-बाटाबाटा के ज्ञापन क्रमांक 101/ख.नि./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 08/05/2022 द्वारा विगत वर्ष में किये गये जांचका की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017-18	3,000
2018-19	2,570
2019-20	1,800
2020-21	2,320
2021-22	3,200

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सोहागपुर का दिनांक 29/08/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** - राष्ट्रीय ग्रौण्ड वाटर मैनेजिंग प्लान एलीग थिच मॉडिफाईड राईन क्लीअर प्लान थिच इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है जो संयुक्त-संचालक (ख.उ.) संचालनालय, भीमिडी तथा खनिजों, नया रायपुर अटल नगर के पु. ज्ञापन क्र. 8878/खनि. 02/स.प.अनुमोदन/स.क्र. 08/2021(1) तथा रायपुर, दिनांक 23/11/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान- कार्यालय कलेक्टर (खनिज संचा.)**, जिला-बलीदाबाजार-भाटाघाट के ज्ञापन क्रमांक/1319/खनि./2021 बलीदाबाजार, दिनांक 07/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज संचा.) जिला-बलीदाबाजार-भाटाघाट के ज्ञापन क्रमांक/1319/ख. नि./2021 बलीदाबाजार, दिनांक 07/03/2022 द्वारा जारी ज्ञापन पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुल, नदी, नाला, एनईकट, लसाच, रेल लाईन एवं बस अडि प्राथमिक क्षेत्र निर्मित नहीं है। आवेदित क्षेत्र नहर से 50 मीटर दूरी पर है।
6. **सीज का विवरण** - सीज लकी गिलरूम, प्रो.- भीमटी इंदिरा बंडा के नाम पर है। सीज सीज 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 23/09/2014 से 22/09/2024 तक की अवधि हेतु है।
7. **भू-स्वामित्व** - भूमि श्री रमेश कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि लागी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **ग्राम विधान का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - कार्यालय वनसंरक्षक/बलीदाबाजार वनसंरक्षक, जिला-बलीदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तक.अडि/ खनिज/ 2022/323 बलीदाबाजार, दिनांक 01/02/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आबदी ग्राम-सोहागपुर 204 मीटर एवं स्कूल ग्राम-सोहागपुर 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. दूर है। नाला 500 मीटर एवं न्यानदी 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पीजुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** - जिपसोलैजिकल रिजर्व 1,48,580 टन, राईनेबल रिजर्व 57,701 टन एवं रिजर्वेबल रिजर्व 54,816 टन है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्राथमिक क्षेत्र) का क्षेत्रफल

202

0

1,487 वर्गमीटर है। खदान कास्ट सभी रेक्टैंगुलर विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,088 घनमीटर है। इन ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर कूड़ासेपन किया जाएगा। बीच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संरक्षित आयु 3 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खनन स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	14,793.75
द्वितीय	20,081.25
तृतीय	22,828.25

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस काम में संपूर्ण सार्वजनिक वॉटर सप्लायरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. कूड़ासेपन कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 700 नम कूड़ासेपन किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछी के लिए रशि 35,000 रुपये, कोसिंग के लिए रशि 71,300 रुपये, खाद के लिए रशि 7,000 रुपये, राख-राबाव आदि के लिए रशि 30,000 रुपये, इस प्रकार कुल रशि 1,49,300 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल रशि 1,44,000 रुपये आगामी खान वर्षों हेतु घटकवार खर्च का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,487 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 458 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त का उत्प्रेरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दफ्तरात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 5(a) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेपटी जॉन में कूड़ासेपन किया जाना आवश्यक है।

17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परिवोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विवरण में वर्णित प्रकार के निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
21.5	2%	0.43	Following activities at Government Primary School Village- Sohagpur	
			Drinking water arrangement with filter & its AMC	
			100 liter capacity RO plan (AQUA IGS SS 100 Ltr Ro Plant, UF, Automation Grade: Semi automatic)	0.32
			5 Year AMC	0.11
Total			0.43	

18. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि गार्डन ब्लॉक प्लान के तहत लीज क्षेत्र के घाटे और कृषारीक्षण कर फेंसिंग करके जल संवर्धन कर वाकली चलान एवं नाब बाली के खेतों के लिए उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में परिवोजना प्रस्तावक द्वारा समझ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भागा सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन-अतिबंधन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. गार्डनिंग लीज क्षेत्र के अंदर (कम से कम 700 वर्ग फीट) एवं बाहर स्थित कृषारीक्षण किये जाने एवं रोपित फीटों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का यकन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनसे विरुद्ध इस परिवोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देस के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लक्षित नहीं है।
4. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से साक्षरित समझ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई अल्लोयन का प्रकरण लक्षित नहीं है।

111

5. माईन लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेपटी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायी (Sanitary Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग किन्दाकलाओं के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायी तथा कृत्रिमता आदि के लिये समुचित उपायी बाबा संघालक, संघालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्म, इटावली भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाय।
6. प्रतिबन्धित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अथवा उत्खनन पाये जाने पर निम्नानुसार आवश्यक दम्कालक कार्यवाही किये जाने हेतु संघालक, संघालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को हति पट्टुखने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाय।
7. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तुतित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाय।

उपरोक्त बतित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जायेगी।

उपानुसार एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को ज्ञान दिनांक 28/06/2022 के परिपत्र में परिशोधन प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 03/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन दिनांक 13/08/2022 एवं 12/07/2022 किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। साथ ही पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर में आवेदन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/08/2022 अनुसार

A. Proposals involving expansion of existing EC

1. At the time of issuance of expansion TOR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the TOR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same. है। जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. सर्वेक्षण लीज क्षेत्र के अंदर (कम से कम 700 वर्ग फीट) एवं बाहर स्थल नुसारोक्त किये जाने एवं संपित पौधों का सर्वेक्षण रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.जा. 804(3), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रकरण का प्रकरण लंबित नहीं है।
5. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्रिंसिपल (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का चलन प्रतिक्रिया प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022 के परिणाम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/03/2023 की जानकारी/वस्तुवैज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 462वीं बैठक दिनांक 06/05/2023

समिति द्वारा कम्प्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण, रायपुर की प्रक्रिया के अनुसृत पर्यावरण स्वीकृति हेतु समस्त प्रक्रिया की जा चुकी है तथा आगे कि प्रक्रिया एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से विचारधीन है तथा उक्त प्रक्रिया में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समस्त बांगी सही जानकारी उपलब्ध बनाई गई है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत की समस्त शर्तों के अधीन जानकारी समय-समय पर एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर तथा विभाग को भेजी गई है, जिससे स्वीकृति विभाग में विचारधीन है।
3. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यवाही में विलम्ब होने से पर्यावरण स्वीकृति लेने में विलम्ब हो रहा है। जिससे खनिज विभाग में रीवॉल्टी जारी नहीं हो पाई। जिससे हमें व्यापार के सतत संचालन में बाधा आवेगा तथा खदान का संचालन बंद हो जाएगा।





4. खदान की लीज अवधि दिनांक 23/09/2014 से 22/09/2024 तक समाप्त हो जाएगी।

5. समिति द्वारा पाया गया कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के पत्र दिनांक 28/09/2022 को पूर्व में परियोजना प्रस्तावक को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिक्रिया हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रतिक्रिया आज दिनांक तक आया है। समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर के अधिका वेनेरिबल दिनांक 08/08/2022 के अनुसार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से लीज माह के भीतर प्राप्त नहीं होने की वजह से पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति के पालन प्रतिक्रिया हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से लेख किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श चर्चात सहाय्यता से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिक्रिया हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लेख किया जाए।

3. मेसर्स मण्डेरा फ्लैम स्टोन कार्टी (प्री- श्री सुरेश कुमार बावरेिया), ग्राम-मण्डेरा, तहसील-डीम्डी लोहाण, जिला-बालोद (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1978)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन / 74484 / 2022, दिनांक 29/03/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित कहीं पत्थर (पीप खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मण्डेरा, तहसील-डीम्डीलोहाण, जिला-बालोद सिट्ट खसरा क्रमांक 978/1, 978/2, 977, 978, 998/1, 998/2, 997, 1501/7, 1501/8 एवं 1501/11, कुल क्षेत्रफल-1.88 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 2,100 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.आई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 23/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेश कुमार बावरेिया, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सा, प्रस्तुत जानकारी का अनावेदन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान पूर्व में संचालित थी। समिति का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से विगत वर्षों (खदान प्रारंभ तिथि से वर्तमान तिथि तक) में किये गये कहीं पत्थर उत्खनन की प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. घास संकलन का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में घास संकलन कम्प्लेंट का दिनांक 01/11/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा कतार स्थापना के संबंध में घास संकलन का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्खनन योजना - स्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-बालोद कतार कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 1001/खनि/ना.प्ला. अनुमोदन/उ.प./2021-22 कार्यालय, दिनांक 08/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बालोद के ज्ञापन क्रमांक 89/खनि.लि./उ.प.अनुमोदन/2021 बालोद, दिनांक 02/02/2022 के अनुसार अवेरिड खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित 15 खदानें, क्षेत्रफल 15.013 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - खनि निरीक्षक, जिला-बालोद दिनांक 01/02/2022 द्वारा प्रभारी खनि अधिकारी, खनिज शाखा, जिला-बालोद को भेजा प्रतिवेदन अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एन्रीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। समिति का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), द्वारा जारी 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं होने कबवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र (ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. एल.ओ.आई, संबंधी विवरण - एल.ओ.आई, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बालोद के ज्ञापन क्रमांक 1052/खनि.लि./उ.प.एल.ओ.आई./2021-22 बालोद, दिनांक 31/12/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी क्लियर जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. नू-स्वामिदा - भूमि खतारा क्रमांक 876/1, 876/2, 878, 998/1, 1501/11 की महेश पाल, खसरा क्रमांक 1501/7 सुरेश कुमार, खसरा क्रमांक 1501/8 श्री सतीश कुमार एवं खसरा क्रमांक 877, 998/2, 887 श्री नरेशचंद्र के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसम्पदाधिकारी, बालोद कतार कार्यालय, जिला-बालोद के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./न.क्र. 23/2021/7132 बालोद, दिनांक 21/12/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में प्रस्तुत किया गया है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घन-गम्हरा 500 मीटर, स्कूल घन-कम्प्लेंट 500 मीटर एवं अस्पताल कम्प्लेंट 500 की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय खदान, कर्मचारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिवेदित किया है।

12. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण – विद्योर्ध्विकल रिजर्व 2,72,190 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 41,120 घनमीटर एवं रिकॉन्वेबल रिजर्व 39,064 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,537 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट रोपी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,582 घनमीटर है। ओकर बर्डेन की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,293.5 घनमीटर है। इस मिट्टी एवं ओकर बर्डेन को उत्खनित सीमा पट्टी (7.5 मीटर) के पुनर्स्थापन में उपयोग किया जाएगा। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संयोजित आयु 20 वर्ष है। लीज क्षेत्र में इन्फर स्थपित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 8,147 वर्गमीटर होगा। स्टोन क्रैटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा। ब्लॉस्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का मिश्रण किया जाएगा। वर्षाजल प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	2,100
द्वितीय	2,100
तृतीय	2,100
चतुर्थ	2,100
पंचम	2,100

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल मिश्रण, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निषिद्ध खदानों/वीटर टैंक में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरेल के माध्यम से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु राम पंचायत एवं नू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल इन्फ्रस्ट्रक्चर वॉटर अथॉरिटी से अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नव वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुव्यव हेतु पोसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,537 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 2,537 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विस्तृत नियमानुसार आवश्यक दृष्ट्यात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 4(3) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to

areast pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन सीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सीमाई ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. गैर माईनिंग क्षेत्र— प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 200 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है। समिति का मत है कि उक्त गैर माईनिंग क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।
18. समिति का मत है कि स्टाब्लिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत राज्य पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. जलर स्यान्ता के संबंध में ग्राम पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्योत्पन्न कलेक्टर (खनिज शाखा) से विगत वर्ष (खदान प्रारंभ तिथि से वर्तमान तिथि तक) में किये गये सभी जलर उत्खनन की प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. कार्योत्पन्न कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं होने अथवा नहीं? के संबंध में ज्ञान पत्र (ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाए।
4. स्टाब्लिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत राज्य पर प्रस्तुत किया जाए।
5. उत्खनन हेतु भूमि स्वामिनों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत एवं न्यू-जल की उपस्थिति हेतु सिन्टल प्रासन्न पीटर अधीनगी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पर्टी में अपेक्ष उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक से विस्फुट निवमानुसार आवश्यक दम्पकामक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनसलय, भीमिखी तथा सखिकर्मी एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु उत्खननसंग पर्यावरण संचालन मंडल, तथा राज्यसुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
8. सीज क्षेत्र की सीमा में जारी अंतर 7.5 मीटर की पर्टी एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु नीचों का रोपण, सुखा हेतु फीसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रक्ष-रक्षा के लिए 5 वर्षों का घटकवार ऋय का विवरण सहित विस्फुट प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरंत आगामी कार्यवाही की जाएगी।





तदनुसार एन.ई.ए.सी. एजेंसीसमूह को ज्ञापन दिनांक 04/08/2022 के परिषद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/03/2023 को जानकारी/अवलोकन प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 08/08/2023:

समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. अंतर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत मन्डौर का दिनांक 28/08/2020 का अनुरोध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार पूर्व में इस क्षेत्र पर खसरा क्रमांक 878/1, 878/2, 878, 888/1, 1501/7, 1501/8 एवं 1501/11, कुल क्षेत्रफल-1.51 हेक्टेयर पर फर्शी पत्थर के उत्खनन पट्टा दिनांक 13/09/2004 से 12/09/2014 तक स्वीकृत था। जिसके अन्तर्गत पर वर्ष 2010 से 2014 तक कुल 3,585.5 घनमीटर फर्शी पत्थर का उत्पादन कार्य किया गया है। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बलौर, दिनांक 820/खनि.लि./खनिज/2022 बलौर, दिनांक 18/07/2022 द्वारा जारी विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वर्ष	उत्पादन (घनमीटर में)
1.	2010	82
2.	2011	1,010
3.	2012	1,030
4.	2013	603.5
5.	2014	870

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौर के ज्ञापन क्रमांक 820/खनि. लि./खनिज/2023 बलौर, दिनांक 06/01/2023 के अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरगट, बांध, एनिकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल एवं जल आपूर्ति स्तंभ आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। आश्रयित क्षेत्र से बल्लाती नाला की दूरी 200 मीटर की परिधि में स्थित है।
4. प्रस्तावित क्षेत्र फर्शी पत्थर खदान है, जिसमें बलस्तिंग का कार्य नहीं किया जाता है। उक्त बलस्तिंग का कार्य सी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत समय पर ज्ञापन करने की आवश्यकता प्रतिशोधित नहीं होती है।
5. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों (श्री. महेश पाज, नरेन्द्रचन्द एवं संतोष) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत एवं मू-जल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल ग्रामम्ब वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर फर्ईनल ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
7. जीव क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 600 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार नीची के लिए राशि 30,000 रुपये, पॉसिंग के लिए राशि 1,51,325 रुपये, खाद के लिए राशि 8,000 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 64,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि

2,71,325 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 1,28,800 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

8. माननीय एन.डी.टी., जिलापत्र क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पारम्परिक विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एपिलीकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौर के ज्ञापन क्रमांक 89/खनि. लि./उप.आवेदन/2021 बलौर, दिनांक 02/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान में 500 मीटर के भीतर अवस्थित 18 खदानें क्षेत्रफल 15.013 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-मण्डेश) का रकबा 1.89 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-मण्डेश) को मिलाकर कुल रकबा 16.903 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलक्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े संकटी जॉन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र को उपरोक्त उपरोक्त (Remedial Measures) के संकेत में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियारक्षायी के कारण उत्पन्न दूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपरोक्त तथा क्वारंटेमन आदि के लिये समुचित उपरोक्त बाधक संभालक, संभालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्ण, इंधाकरी भवन, तथा रामपुर अटल नगर, जिला - रामपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अधिक उत्खनन चले जाने पर नियमानुसार कैथनिक कार्यवाही किये जाने हेतु संभालक, संभालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्ण एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, तथा रामपुर अटल नगर को कैथनिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से प्रकल्प 'बी1' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिमायनिंग इन्धकलमेंट क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C, Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project Proponent shall submit a valid LOI (Letter of Intent) copy at the time of EIA presentation.
- iii. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- v. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
- vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- ix. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panorama and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance

cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

- viii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

उपरोक्त सार्वजनिक पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एन.ई.आई.ए.ए.) प्रकटीकरण को तदनुसार सुविधा प्रदान की जाये।

4. मेसर्स एन.ए.ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (प्री- एन.ए.ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड), सेक्टर-सी, उरला इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एरिया, तहसील व जिला-रायपुर (सकियालय का नस्ती क्रमांक 2168)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एन.आई.ए./ सी.सी./ आई.एन.डी./ 402847/2022, दिनांक 17/10/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में त्रुटियाँ होने से ज्ञात दिनांक 17/11/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यचित जानकारी दिनांक 21/11/2022 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सेक्टर-सी, उरला इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एरिया तहसील व जिला-रायपुर प्लॉट नं. 144, कुल क्षेत्रफल - 4.758 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर्स कर्नेल एम्बेडेड सिस्टम मिल - 88,000 टन प्रतिवर्ष से 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार परियोजना की कुल विनिर्माण 40 करोड़ रुपये होगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी, प्रकटीकरण के ज्ञात दिनांक 23/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुविधा प्रदान किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 443वीं बैठक दिनांक 28/12/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेश कुमार वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि आवेदित प्रकरण हेतु प्रस्तुत ऑनलाइन दस्तावेजों में प्लॉट नं. 144, कुल क्षेत्रफल - 4.758 हेक्टेयर का उल्लेख है, जबकि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में प्लॉट नं. 144 एवं अन्ध 11 प्लॉट नम्बर, कुल क्षेत्रफल - 1.68 हेक्टेयर का उल्लेख है। साथ ही प्रस्तुत भू-संश्लेषण दस्तावेज में खरवा का उल्लेख है, जबकि प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में संयोजक प्लॉट नम्बर 144 का उल्लेख होना प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवरणों के संज्ञान में समिति का पता

है कि आवेदित प्रकरण हेतु शेजकल एवं कुल भूमि का प्लॉट नं./ खसरा क्रमांक सहित चल्नेख करते हुए फॉर्म में ऑनलाईन जुटि सुधार किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को राफ्त परस्तावेजों में समिती होने के कारण प्रस्तुतीकरण को आगामी माह में किये जाने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को फॉर्म में जुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के परभावतः व्यक्ति जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने जनता आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 के परिधिस में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/03/2023 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 09/06/2023

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्त उपरंत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को स्वस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. गेलन साईन स्टोन क्वारी (ग्रो- बी नीरख संग्राल), ग्राम-गोजी, तहसील-कुन्द, जिला-बमटरी (समिचालन का नसी क्रमांक 1710)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 216840/2021, दिनांक 17/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। कद्वान में प्रयोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 288883/2022, दिनांक 13/08/2022 द्वारा पर्यावलीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित कुल पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-गोजी, तहसील-कुन्द, जिला-बमटरी स्थित खसरा क्रमांक 1118/1 एवं 1118/2, कुल शेजकल-1.37 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित चल्चनन क्षमता-29,723.18 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/09/2021 द्वारा प्रकरण 'बी' कटेगरी का होने के कारण राफत संरक्षार पर्यावरण, वन और जलसाधु परिसरान संजालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैम्पड टर्न ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एन.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायलमेंट क्लीरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में समित क्षेत्री 1(ए) का स्टैम्पड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 437वीं बैठक दिनांक 30/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नीरज गंगवाल, प्रोफेसर्डोर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेमर्स की एक एम सीएमएस, नीरजा, उल्लारचंदक की ओर से श्री हुसैन जियाउद्दीन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारों का अपलोडन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. धाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में धाम पंचायत गोष्ठी का दिनांक 03/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - स्वामी प्लान एरिंग विथ क्वारी कलेक्टर प्लान विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी, जिला-उल्लार बस्तार कॉन्वेन के नू ड्राफ्ट क्रमांक 180(ए)/खनिज/उल्ल.बी.अनु./उ.प./2021-22 कॉन्वेन, दिनांक 10/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बनारसी के ड्राफ्ट क्रमांक 437/खनिज/ख.लि./2022 बनारसी, दिनांक 21/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, कुलकुल 14.38 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-बनारसी के ड्राफ्ट क्रमांक 728/खनिज/उ.प./2021 बनारसी, दिनांक 10/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार चला खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मस्जद, आस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनिकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. श्री नीरज गंगवाल के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बनारसी के ड्राफ्ट क्रमांक/561/खनिज/पत्थर/उल्ल.मट्ट/2020-21 बनारसी, दिनांक 25/05/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी कैंसल जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु थी। समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 1118/1 की डीमन राम एवं खसरा क्रमांक 1118/2 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - जून 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलधिकारी, बनारसी वनमण्डल, जिला-बनारसी के ड्राफ्ट क्रमांक/ख.वि./जी/1178 बनारसी, दिनांक 03/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 30 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-कोष्ठी 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-गोष्ठी 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी.





एवं सार्वजनिक 2 कि.मी. मीटर दूर है। महानदी 1.8 कि.मी. एवं मौसमी नाला 15 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिष्टकली पीएनएचए सुविधा, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. **खनन संस्था एवं खनन का विवरण** – जिब्रोल्जिकल रिजर्व 8,18,500 टन, माइनेबल रिजर्व 2,10,824 टन एवं रिहाइलबल रिजर्व 1,89,581 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,877.34 वर्गमीटर है। अंग्रेज कास्ट सेनी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18.5 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं बाका 12,787.15 घनमीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में कचरा स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रकल जाएगा। सर्वेकार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	इलाजित उत्खनन (टन)
प्रथम	25,178.20	चतुर्थ	29,733.18
द्वितीय	27,029.37	पंचम	23,982.58
तृतीय	28,158.85	अंशम	8,680.27
चतुर्थ	27,489.45	षष्ठम	8,739.15
पंचम	22,832.25	दशम	7,584.15

13. **जल आपूर्ति** – परिवोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में ग्राम पंचायत का अनाधिकतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,250 नव वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (अपर्ये)	द्वितीय (अपर्ये)	तृतीय (अपर्ये)	चतुर्थ (अपर्ये)	पंचम (अपर्ये)
खदान की आसपास (1,250 नव) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन वय) हेतु रशि	82,500	8,250	8,250	8,250	8,250
	फेंसिंग हेतु रशि	74,200	—	—	—	—
	खार हेतु रशि	9,380	938	938	938	938
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु रशि	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल रशि = 12,82,832		3,82,080	2,56,188	2,56,188	2,56,188	2,56,188

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. गैर वाईनिंग क्षेत्र – जीजा क्षेत्र में संवीर्य होने के कारण 181.24 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर वाईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका चरित्रक अनुमोदित स्वामी प्लान में किया गया है।

17. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – नीतिद्वारा कार्य 15 अक्टूबर 2021 से 14 जनवरी 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर सू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. नीतिद्वारा परिणामों के अनुसार पीएच, एसओ₂, एसओ₃, का सान्द्रण लेवल-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	18.4	33.3	60
PM _{2.5}	43.6	62.4	100
SO ₂	7.8	15.6	80
NO ₂	9.9	22.3	80

iii. परिवर्षजनक स्तर के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लोड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	39.9	54.5	75
Night L _{eq}	38.3	46.0	70

जो एकत्र क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना- भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हेवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रेफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 878 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (V/C ratio) 0.43 है। प्रस्तावित परिवर्षजनक उपरांत 42 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तात्पर्यात् कुल 920 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (V/C ratio) 0.46 होगी। विस्तार के उपरांत भी सी-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Good 0.4-0.7) के भीतर है।

vi. सम्यक् सड़क मार्ग में सम्पूर्ण क्लस्टर के भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हेवी वाहनों को भी समाहित करते हुये ट्रेफिक अध्ययन रिपोर्ट (पी.सी.यू. प्रतिघंटा) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वर्तमान में 960 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (V/C ratio) 0.48 है। सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु विस्तार के उपरांत भी सी-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Good 0.4-0.7) के भीतर है।

ख. पी.एल.सी. की समता –

Contributed Concentration Levels Particulate Matter					
S. No.	Activity in the Quarry	Maximum Baseline Concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Incremental GLCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Resultant Concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Limit (Industrial, Rural and other area) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.	Excavation + Loading + Transportation	62.40	1.60	64.00	100

ख. लोक सुनवाई दिनांक 08/08/2022 दोपहर 12:00 बजे, स्थान – ग्राम पंचायत खान गोली, ग्राम-गोली, तहसील-कुसुद, जिला-धमतरा में संलग्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज मादस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, तथा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पात्र दिनांक 25/07/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रारंभ अंग्रेजी (tabular form in english) एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रारंभ हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- कलक्टर हेतु कॉर्पोरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान – कलक्टर हेतु कॉर्पोरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवं कॉर्पोरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- कॉर्पोरेट पर्यावरणीय ज़ाप्ति (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु ज़ाप्ति के ताल विस्तार से कार्य प्रारंभ निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
60	2%	1.60	Following activities at nearby, Village-Goji	
			Pavitra Van	12.52
			Total	12.52

- सी.ई.आर. के अंतर्गत "चरित्र वन निर्माण" (आंकला, नीम, आम, करंज, कदम जामुन, अमलास आदि) कृषाधीन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नम चौड़ी के लिए ज़ाप्ति 13,200 रुपये, सीसिंग के लिए ज़ाप्ति 1,80,000 रुपये, खाद के लिए ज़ाप्ति 1,500 रुपये, सिंचाई तथा खाद-खास आदि के लिए ज़ाप्ति 2,18,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल ज़ाप्ति 3,80,700 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल ज़ाप्ति 8,71,680 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गोली के सहमति उपरोक्त कृषाधीन स्थान (खसरा क्रमांक 844, क्षेत्रफल 5.85 हेक्टेयर में से 0.3 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

22. इस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के उत्तरी दिशा का कुछ भाग 37 मीटर की चौड़ाई का है, जिसमें 6 मीटर की गहराई तक ही खनन का प्रस्ताव दिया गया है, जिसका विवरण प्रथम चर्चा चर्चा का उत्पादन योजना के अंतर्गत के उत्पादन योजना एवं खननसम्बन्धित खनन योजना में उल्लेखित है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर एवं खोला के संबंध में जलकारी क्षेत्रीय नाम सहित प्रस्तुत किया गया है।
24. कंट्रोल स्टार्टिंग विन्डो जाने बाबत सच्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण विन्डो जाने एवं रोपित वृक्षों का सतर्कपालन रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित विन्डो जाने बाबत सच्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बालमूड़ी पिल्लई द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित विन्डो जाने बाबत सच्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. ऊपरी मिट्टी को विक्रय नहीं विन्डो जाने बाबत सच्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्वतारोहण, वन और जलसामु परिचरित मंत्रालय की अधिनियम का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण ललित नहीं है।

समिति द्वारा तलसमय सर्वसम्पति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया बा-:

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में विन्डो जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रथम अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रथम हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रतीसमय आदर्श पुर्नवास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार विन्डो जाने हेतु सच्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पीछर, नहर, नदी, बाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संरक्षण विन्डो जाने बाबत सच्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परिशोधना प्रस्तावक द्वारा प्राचीनों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु राज्य पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में दर्शाित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान को तहत किन्हे जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध करारकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
9. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अर्जास एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाित हुये पुनरीक्षित कर प्रस्तुत किया जाए।
10. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय कटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किन्हे जाने तथा किन्वाचित्त कराने हेतु संचालक, संचालकलय, भूमिही तथा खनिकर्म्, इंदावती मकम्, नका रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किन्हे जाने हेतु निर्दिशित किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किन्हे जाने उपरोक्त आशानी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 19/01/2023 के परिशिष्ट में परिशोधना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/03/2023 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ख) समिति की 42वीं बैठक दिनांक 08/08/2023:

समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. एल.ओ.आई. की वेबसाइट बाबत न्यायालय संचालक, भूमिही तथा खनिकर्म्, नका रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 71/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 18/02/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्दिशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गीस खनिज निगम्, 2018 के नियम 42(5) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरोक्त उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त सम्भावधि प्रदान करते हुये प्रकरण कलेक्टर, जिला धमतरी को प्रत्यापित किया जाता है।" होना बताया गया है।
2. ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं गहरा 12,787.15 घनमीटर है। प्रथम वर्ष में 3,285.27 घनमीटर ऊपरी मिट्टी उत्खनन होगी, जिसमें से आवश्यकतानुसार ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर पुनःस्थापित किन्हे जाने उपरोक्त क्षेत्र ऊपरी मिट्टी को गैर माईनिंग क्षेत्र में संरक्षित किन्हा जाएगा। द्वितीय वर्ष में उत्खनन ऊपरी मिट्टी का उत्खनन प्रथम वर्ष में किन्हे गये पिट के पुनःस्थाप में किन्हा जाएगा। इस प्रकार क्षेत्र 8,511.87 घनमीटर ऊपरी मिट्टी का उत्खनन किन्हे गये पिट के पुनःस्थाप में किन्हा जाएगा।

3. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में जन सामान्य के सुझावनुसार सारणीबद्ध प्रथम हिन्दी (Sanskrit form in Hindi) में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- खदान में जो बड़ा स्टाफिंग कमी है। उससे घटी में लेज आवाज आती है। गांव वाले यही चाहते हैं कि निम्न स्तर पर स्टाफिंग का कार्य किया जाए।
- स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसालटेड का कथन निम्नानुसार है:-

- स्टाफिंग का कार्य सभी सुझावों को ध्यान में रखकर अनुसूचित/अनुसूचित जाति के द्वारा ही किया जाएगा।
 - खदान में काम करने के लिए यहां के रहवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार आवेदित खदान को शामिल करते हुए क्लस्टर में कुल 7 खदानें आती हैं। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)	
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़क/पट्टी मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पट्टी मार्ग की कुल लम्बाई 1.5 कि.मी.	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000	
पट्टी मार्ग के दोनों तरफ की कुल लम्बाई 1.5 कि.मी. में 7.000 कुवारीयन हेतु	कुवारीयन (30 प्रतिशत जीवन वर) हेतु राशि	5,00,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	कॉलिंग हेतु राशि	18,90,000	-	-	-	-
खाद एवं रस-रखाव आदि हेतु राशि	7,00,000	7,00,000	7,00,000	7,00,000	7,00,000	
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग (विभागीय)	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000	
सड़क/पट्टी मार्ग के रस-रखाव हेतु	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	
स्थानीय सड़क पर कुवारीयन	1,00,000	30,000	30,000	-	-	

हेतु (2.5 कि.मी. तक)					
कुल = 88,50,000	38,70,000	14,80,000	14,80,000	14,30,000	14,30,000

कीमत इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिवर्तन प्रस्तावक की सहमति का विचारानुसार होगी:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रमुख नियोजन हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न कुल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव (850 मीटर रोक)		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
850 मीटर रोक के दोनों तरफ (1250 मीटर) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (50 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,50,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	परिष्कार हेतु राशि	5,00,000	-	-	-	-
	बीज, खाद एवं एग-संसाधन हेतु राशि	1,10,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग (विभागीय)		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
सड़कों / पहुंच मार्ग के संभारण हेतु		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
ग्रामीण पहुंच मार्ग में वृक्षारोपण (2.5 कि.मी.)		40,000	20,000	20,000	-	-
कुल राशि = 18,80,000		9,10,000	2,45,000	2,45,000	2,25,000	2,25,000

- वृक्षारोपण अर्थात् पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिवे रावे आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- क्लस्टर हेतु कीमत इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक स्वरो में इकीकृत करने हेतु जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही क्लस्टर में आने वाले खदानों द्वारा कीमत इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्य हेतु अनुबंध करके जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

9. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अज्ञात एवं रेगुलर ललित नक्शों में दर्शाते हुए पुनर्परीक्षा कर प्रस्तुत किया गया है।
10. सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परिशोधन प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं क्लस्टरिंग कार्यों के नॉनटैलरि एंड परफॉर्मिंग हेतु त्रि-पक्षीय समिति (जेपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परिशोधन प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं क्लस्टरिंग का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
11. मानवीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल सेक्टर, नई दिल्ली द्वारा सर्वोद पारंपरिक विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 डीक 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. सर्वोद पारंपरिक क्लस्टर (खनिज खान), जिला-धनसरी के ज्ञापन क्रमांक 437/खनिज/ख.लि./2022 धनसरी, दिनांक 21/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की मीटर अवस्थित 8 खदानें, क्षेत्रफल 14.38 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-गोजी) का क्षेत्रफल 1.37 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-गोजी) को मिलाकर कुल रचना 15.75 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (पूरा संशोधित) के प्राक्तानों एवं मानवीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा शिवायित करने हेतु संचालक, संचालनालय, सीमिटी तथा खनिज, इलाखती मन्त्र, तथा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (प्रतीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स लाईम स्टीन क्वारी (प्री- सी गैरज गणवाल) को ग्राम-गोजी, तहसील-कुलद, जिला-धनसरी के खाना क्रमांक 1118/1 एवं 1118/2 में स्थित चूना पत्थर (गोब खनिज)

खदान कुल क्षेत्रफल-1.37 हेक्टेयर, क्षमता - 29,723 टन प्रतिवर्ष हेतु परियोजना-08 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण इकाय अथवा अल्पकाल प्रतिकल्पन (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. मेरठ मुईगांव जिला अर्बे ब्ले क्वारी एन्ड फिक्स थिम्बी फाईट (पी- की मोहन प्रसाद मनहर), ग्राम-मुईगांव, तहसील-पामगढ़, जिला-जांजगीर-बाघा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2219)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 408881/2022, दिनांक 01/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

इस्लाब का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (पीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मुईगांव, तहसील-पामगढ़, जिला-जांजगीर-बाघा स्थित खसरा क्रमांक 789, 790/1, 790/2, 790/3, 791/1, 791/2, 791/3 एवं 792/1, कुल क्षेत्रफल-1.082 हेक्टेयर प्रस्तावित में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता-400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना इस्लाबक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 29/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 444वीं बैठक दिनांक 29/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु की मोहन प्रसाद मनहर प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि आवेदित प्रकरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों में खसरा संबंधित भिन्नता है। इस संबंध में परियोजना इस्लाबक द्वारा समिति के समक्ष फॉर्म-1 एवं अन्य दस्तावेजों में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को फॉर्म-1 एवं अन्य दस्तावेजों में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् सचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने तत्पश्चात् आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 21/02/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 06/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श करवाते सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स नकटी खनी लाईन स्टोन क्वारी (प्री-बी लाराचंद आहुजा) ग्राम-नकटी खनी, तहसील-तिल्वा, जिला-रायपुर (राजिवालय का नसीब क्रमांक 2084)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 278033/2022, दिनांक 02/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संयोजित चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-नकटी खनी, तहसील-तिल्वा, जिला-रायपुर स्थित चार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 290/18, कुल क्षेत्रफल-0.404 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित ऊखनन क्षमता - 8,120 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. जालीसगढ़ के द्वारा दिनांक 20/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 427वीं बैठक दिनांक 30/08/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु बी लाराचंद आहुजा, प्रीपतईटर जनस्थित हुए। समिति द्वारा नसीब प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

i. पूर्ण में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 290/18, कुल क्षेत्रफल-1 एकड़ (0.404 हेक्टेयर), क्षमता-8,120 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समायोजन निर्धारण प्राधिकरण, जिला-रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 24/08/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"6A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 23/08/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोप्रामा सहित प्रस्तुत की गई

है। समिति का मत है कि परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थैर्यता का परामर्श प्रतिक्रिया प्राप्त बन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- ii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षादेयता नहीं किया गया है।
 - iv. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। इस संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की अनगिनत जानकारी प्राप्त करने हेतु परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा खनिज अधिकारी, जिला-रायपुर को दिनांक 28/08/2022 को आवेदन किया गया है।
2. ग्राम पंचायत का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जलसौ का दिनांक 26/07/2012 का अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
 3. उत्खनन योजना - क्वार्टी प्लान एवं क्वार्टी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिजता), जिला-रायपुर के पृ. जापन क्रमांक 3183(2)/ख. सि./टीन-8/उ.प. 42/2013 रायपुर, दिनांक 01/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।
 4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-रायपुर के जापन क्रमांक 1853/ख.सि./टीन-8/2022 रायपुर, दिनांक 02/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.86 हेक्टेयर है।
 5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-रायपुर के जापन क्रमांक 2114/ख.सि./टीन-8/2022 रायपुर, दिनांक 30/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरवाट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनिकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है। तालाब एवं हाईटेजम लाईन 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।
 6. लीज का विवरण - लीज की आलोक शर्तों के नाम पर की। लीज की 10 वर्षों अवधि दिनांक 18/02/2014 से 17/02/2024 तक की अवधि हेतु किया है। लीज का हस्तांतरण दिनांक 24/11/2018 को श्री तातबंद आहुजा के नाम पर किया गया है।
 7. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 290/18 श्रीमती रामदा आहुजा के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
 8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
 9. वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - कार्यालय वन सफलाधिकारी, वन सफला, जिला-रायपुर के जापन क्रमांक/व.स.अ./स/1187 रायपुर, दिनांक 01/08/2022 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।
 10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-नकदी 500 मीटर, स्कूल ग्राम-तन्धवा 5.3 कि.मी. एवं अस्पताल केकुंड 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. एवं राजमार्ग 28.8 कि.मी. दूर है। खाकन नदी 18 कि.मी. एवं सिलनाथ नदी 20 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिसर में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड इरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होगा प्रतिबंधित किया है।
12. **खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण** - डिपोजीजिबल रिजर्व 1,88,500 टन, माईनेबल रिजर्व 89,500 टन एवं रिक्वैरिबल रिजर्व 88,025 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,800 वर्गमीटर है। खनन कास्ट सेमी मैकनोइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22 मीटर है। ओवर बर्न (मुकुम) की मोटाई 2 मीटर एवं मात्रा 3,800 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संघटित आयु 10.48 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खनन स्थानित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हेमर से डिजिटिंग एवं स्टाटिंग किया जाता है। खदान में पानी प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का डिफ्लोव किया जाता है।
13. **प्रस्तुत अनुमोदित खारी पट्टा में वर्षवार प्रस्तावित कुल उत्खनन का उल्लेख** है एवं 10 वर्षों तक औसत चूना पत्थर उत्खनन क्षमता - 5,125 टन प्रतिवर्ष (MCM) का उल्लेख है परंतु वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना का विवरण उल्लेखित नहीं है। आ. समिति का मत है कि वर्षवार प्रस्तावित चूना पत्थर उत्खनन योजना का विवरण खारी पट्टा में उल्लेख कर्तौ हुये प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जल की आपूर्ति क्षेत्र के माध्यम से किया जाएगा। इस वास्तु गैंग्रुल डायमंड बीटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. **वृक्षारोपण कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 288 नए वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु चौड़ी, फंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पॉलिश वन" के तहत (आंचल, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) द्वारा पंचायत के सहमति उपरान्त पर्यावरण स्थान (खसकवार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु चौड़ी, फंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुत अनुमोदित क्वारी प्लान में ओवर बर्डन (मुसम) की मोटाई 2 मीटर एवं मात्रा 3.880 घनमीटर को स्वयं ज़ाबिकारी के अनुमति उपरोक्त विवरण किये जाने का उल्लेख है। इस संबंध में समिति का मत है कि जगित ओवर बर्डन (मुसम) को विवरण नहीं किया जाएगा।
19. क्वारी मिट्टी को संश्लिष्ट कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मुसम का दुरुस्वयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपरोक्त नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपरोक्त पुनःस्वयोग हेतु किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. क्वारी मिट्टी (मुसम) को लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में 1 मीटर की ऊंचाई तक रखने उपरोक्त क्षेत्र क्वारी मिट्टी (मुसम) को लीज क्षेत्र के समीप स्वयं की भूमि खसता क्रमांक 290/19 तथा 0.807 हेक्टेयर में 1 मीटर की ऊंचाई तक संश्लिष्ट कर संरक्षित रखे जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डिस्कोटक लाईसेंस धारक द्वारा करने जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा उल्लेख सर्वसम्पत्ति से गिन्यानुसार निर्णय लिया गया था—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, सर्वेक्षण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया दहली अटल नगर से पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसंग निर्धारित शर्तानुसार कुशलरोपण करते हुए पीछे में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. विगत वर्षों में किये गये उल्लेखन की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रश्लिष्ट करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
4. सर्वेक्षण प्रस्तावित चूना पत्थर उल्लेखन योजना का विवरण क्वारी प्लान में उल्लेख कराते हुये प्रस्तुत किया जाए।
5. जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल वाटरवर्ड बोर्ड अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुशलरोपण हेतु पीछे, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
7. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन निर्माण" के तहत (अथवा, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वन पंचायत के सहमति उपरोक्त क्वारीय क्षेत्र (खसताधार विवरण सहित) में कुशलरोपण हेतु पीछे, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सचन कुशलरोपण किये जाने एवं संमित पीछे का सतर्थाईकल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बाउण्ड्री गिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. फ्लोसीमगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्वामीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सख्त पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित सख्त पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रस्तावना का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त बाधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

समानुसार एस.ई.ए.सी., फ्लोसीमगढ़ को ज्ञापन दिनांक 21/11/2022 के परिप्रेष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 08/05/2023:

समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर में आवेदन किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पालन प्रतियोग्यता प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्तुत किया जाने बाबत अनुबंध किया गया है।
2. समिति द्वारा पाया गया कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के पत्र दिनांक 21/11/2022 के पूर्व में परियोजना प्रस्तावक को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतियोग्यता हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया गया था, जिसके परिप्रेष्य में प्रतियोग्यता अतः दिनांक तक अज्ञात है। समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर के ऑफिस केमोरियम दिनांक 08/06/2022 के अनुसार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से तीन माह के भीतर प्राप्त नहीं होने की दशा में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति के पालन प्रतियोग्यता हेतु फ्लोसीमगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से लेख किया जाना आवश्यक है।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुबन्ध निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करती हुए पीपी में संख्यांकन (Numbering) एवं पीपी के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस संख्या में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खदान प्रारंभ होने के 6 माह के भीतर कुशलरूप में कर फोटीवाला संबंधित जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-रायपुर के डायन क्रमांक 407/ख.सि./न.अ./2023 रायपुर, दिनांक 08/03/2023 द्वारा विगत वर्षों में खिदे गये पटखानों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वर्ष	उत्पादन (टन)
1	01/04/2017 से 31/03/2018	2,794
2	01/04/2018 से 31/03/2019	7,628
3	01/04/2019 से 31/03/2020	5,447
4	01/04/2020 से 31/03/2021	4,688
5	01/04/2021 से 31/03/2022	3,932

5. वर्षवार प्रस्तावित घुना पत्थर पटखानों योजना का विवरण खारी प्लान में उल्लेख करते हुए प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोलवेल के माध्यम से की जाती है। इस संबंध में नट्टल ग्रामपंच वीर अधीरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
7. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की घट्टी में 288 नम कुशलरूप किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछी के लिए राशि 21,888 रुपये, कंसिंग के लिए राशि 67,200 रुपये, खाद के लिए राशि 2,160 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये एवं एच-रखाल आदि के लिए राशि 1,58,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 3,67,248 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,73,688 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विनियुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28	2%	0.58	Following activities at nearby, Village-Jalsho	
			Pavitra Van	12.42
			Niman	
Total			12.42	

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (अंगूला, बर, पीपल, नीम, आम, कर्ज, जामुन, अमलतास, कदम आदि) कुशलरूप हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 375 नम पीछी के लिए राशि 43,700 रुपये, कंसिंग के लिए राशि 44,800 रुपये, खाद के लिए राशि 4,320 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये तथा एच-रखाल आदि के लिए राशि 1,48,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,58,820 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,83,432 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा

- इस संघागत जलस्रोत के अधीन उपरोक्त पर्याप्त स्थान (खसरा क्रमांक 585, क्षेत्रफल 0.231 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
9. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर माघन कुआरेपन किये जाने एवं संवित पौधी का सत्यापित रेट (Survival rate) 20 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत माघण्टी जिल्ला द्वारा सीमावर्तन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 11. जलसंधारण आवर्तन पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
 13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संरक्षण की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रकरण ललित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्बन्धित से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के चलन प्रलियेदन मंगाने हेतु जलसंधारण पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लेख किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार निर्धारित हतानुसार कुआरेपन करते हुए पौधी में संख्यांक (Numbering) एवं पौधी के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. सर्वेक्षण प्रस्तावित पूरा पश्चात उल्लेखित योजना का विवरण क्वारी स्थान में उल्लेख करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उल्लेखित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को हतानुसार सुचित किया जाए। साथ ही जलसंधारण पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लेख किया जाए।

8. के.एस. अरसेन रि-सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 200 एवं 200ए, वरला इन्डस्ट्रीयल एरिया, जिला-रावपुर (सविधान्य का नती क्रमांक 2128)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एरआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 82187/2022, दिनांक 10/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्लॉट नं. 200 एवं 200ए, वरला इन्डस्ट्रीयल एरिया, जिला-रावपुर, कुल क्षेत्रफल-1.214 हेक्टेयर से 1.8188 हेक्टेयर, क्षमता विस्तार के तहत रि-डिस्ट्रिब्यूटिंग सिस्टम मिल (नि-सेलर प्रोजेक्ट्स) क्षमता-82,800 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,50,000 टन प्रतिवर्ष को टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनिर्माण खर्च 40.88 करोड़ होगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 28/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री चन्द्रशेखर जटा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स अस्ट्रा-टेक इन्वापरोमेन्टल कन्सल्टेंसी एण्ड जेनोरेटरी, कार्गो, महाराष्ट्र की ओर से सुधी अंजली सिंघम उपस्थित हुए। समिति द्वारा नमकी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति -

- पूर्ण में राज्य स्तर पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञान क्रमांक 831, दिनांक 28/08/2021 द्वारा मेसर्स अग्रसेन रि-रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड को रि-हीटिंग फर्नेस आधारित सेलिंग मिल क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 58,800 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।
- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. जल एवं वायु सम्मति -

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से मेसर्स अग्रसेन रि-रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्लेट्स, रोलर्स, ड्रॉफाईन्स, द्रुम्य एण्ड सिमिलर आर्टिकल्स और आवरण एण्ड स्टील दुम इन स्ट्रक्चर 58,800 टन प्रतिवर्ष एवं एम.एच. पाईप एण्ड द्रुम्य 1,50,000 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 12/08/2022 को जारी की गई है, जो दिनांक 28/02/2023 तक की अवधि हेतु वैध है।
- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा मेसर्स अविनाश इस्पात प्राइवेट लिमिटेड को रि-रोलर्स प्रोडक्ट्स (बिस्, पैन्चर्स, मिलर्स एवं गिरर्सस और स्ट्रक्चर आवरण एण्ड स्टील) 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 19/12/2019 को जारी की गई है, जो दिनांक 31/10/2024 तक की अवधि हेतु वैध है।
- छत्तीसगढ़ में स्थापित इस्पात हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि पूर्ण मेसर्स अविनाश इस्पात प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मंडल से सम्मति प्राप्त रि-रोलर्स प्रोडक्ट्स 30,000 टन प्रतिवर्ष का अधिग्रहण मेसर्स अग्रसेन रि-रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ में मेसर्स अग्रसेन रि-रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड को राज्य स्तर पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा रि-हीटिंग फर्नेस आधारित सेलिंग मिल क्षमता- 58,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति एवं मेसर्स अविनाश इस्पात प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मंडल से सम्मति प्राप्त रि-रोलर्स प्रोडक्ट्स 30,000 टन प्रतिवर्ष

को मिलावन (merge) एक इकाई का दो दूर वर्तमान में स्थापित एवं संचालित नि-हीटिंग फर्नीचर अथवा रोलिंग मिल (रोलिंग प्रोडक्ट्स) क्षमता- 60,000 टन प्रतिवर्ष + 30,000 टन प्रतिवर्ष (रोलिंग मिल क्षमता- 60,000 टन प्रतिवर्ष) में क्षमता विस्तार किया जाकर नि-हीटिंग फर्नीचर अथवा रोलिंग मिल (रोलिंग प्रोडक्ट्स) क्षमता - 1,50,000 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में मेजर (merger) किये जाने संबंधी वसावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही मेसर्स अविनाश इम्प्लान्ट प्राइवेट लिमिटेड से मेसर्स अजयन नि-रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर इन्वॉल्वेड किये जाने संबंधी जानकारी/वसावेज प्रतिसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. निकटवर्ती स्थित कृषाकृत्यों संबंधी जानकारी -

- सहर रायपुर 8 कि.मी. दूर स्थित है। रेलवे स्टेशन-उदयपुर आर एस कॉलोनी 6.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानमार्ग, चाना रायपुर 21.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खालन नदी 6.7 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूरी पर है।
- परिवहन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिसर में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्धराज्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

5. लेम्ब एरिया स्टेटमेंट -

Existing And Proposed Land Area Breakup

S. No.	Land use	Existing		After Expansion	
		Area (in SQM)	Area (%)	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Rolling Mill	4,451.54	36.67	6,487.6	40.1
2.	Finished Good	849.86	7.01	662.3	6.9
3.	Raw Material Yard	485.63	4.03	730.0	4.5
4.	Parking Area	647.51	5.32	649.0	4
5.	Road Area	809.39	6.67	1,090.9	6.7
6.	Greenbelt	4,896.8	40.3	6,279.0	38.8
	Total	12,140.63	100	16,188.8	100

6. री-मटेरियल - वर्तमान में री-मटेरियल को रूप में रोलिंग मिल में किलेट्स 61,000 टन प्रतिवर्ष का उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरान्त किलेट्स 1,53,000 टन प्रतिवर्ष का उपयोग किया जाएगा।

7. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी -

S. No.	Name	Existing Capacity (TPA)	After Expansion Capacity (TPA)
1.	Reheating Rolling Mill (Recoiled Product)	50,600	1,50,000
2.	MS Pipe / Tubes	1,50,000	1,50,000

Note: Capacity expansion shall be achieved by increasing working hours of Gasifier-1 from 18 hrs to 22 hrs & Gasifier-2 from 10 hrs to 22 hrs per day.

समिति का मत है कि क्षमता विस्तार के तहत नि-डिटिंग रोडिंग मिल (नि-वेल्ड प्रोडक्ट्स) क्षमता—89,800 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,50,000 टन प्रतिवर्ष होने प्राप्त किया जाना इस संबंध में जानकारी गणना सहित जानकारी मांगा जाना आवश्यक है।

8. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था — वर्तमान में रोडिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पैसिफायर-1 में बेग फिल्टर तथा गैसिफायर-2 में वेद स्कबर एवं 30 मीटर लंबाई की चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकाल के तहत रोडिंग मिल नि-डिटिंग फर्नीचर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पैसिफायर-1 में बेग फिल्टर तथा गैसिफायर-2 में वेद स्कबर को साथ बेग फिल्टर एवं 30 मीटर लंबाई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 20 मिलियन/सालाना घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्लुइडिटीज डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकाल हेतु भी अपनाई जाएगी।

9. ठोस अपशिष्ट उपचयन व्यवस्था — प्रस्तावित कार्यकाल के तहत रोडिंग मिल से मिल स्केल 760 टन प्रतिवर्ष, एचड कटिंग 2,260 टन प्रतिवर्ष, फिल्टर डस्ट 1.8 टन प्रतिवर्ष, दूध ऑयल 2 किलो लीटर प्रतिवर्ष, कोल ऐश 6,700 टन प्रतिवर्ष एवं क्लियर सेल 18 किलोघाम प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल को निकटतम स्टील उद्योग में विक्रय किया जाएगा। एचड कटिंग को निकटतम इन्डरसन फर्नीचर में उपयोग किया जाएगा। फिल्टर डस्ट का उपयोग सिंटर फ्लाट उद्योग में किया जाएगा। दूध ऑयल को अधिकृत विक्रेता को विक्रय किया जाएगा। कोल ऐश को रोड निर्माण के लेंड फिलिंग में किया जाएगा। क्लियर सेल का बायो कम्पोस्टिंग किया जाएगा। उपरोक्त व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकाल उपरोक्त भी अपनाई जाएगी।

10. जल प्रबंधन व्यवस्था —

• जल क्षमता एवं स्रोत — वर्तमान में परिवोजना हेतु कुल 21 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 11.5 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं डीन बेसट एवं डस्ट सप्लेशन हेतु 7.5 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकाल उपरोक्त परिवोजना हेतु कुल 52 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 28 घनमीटर प्रतिदिन, डीन बेसट एवं डस्ट सप्लेशन हेतु 18 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में आवश्यक जल की आपूर्ति सोरोल से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकाल के तहत आवश्यक जल की आपूर्ति इलाहाबाद इरफाल भूमि लिमिटेड से की जाएगी।

• जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था — औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोडिंग मिल से कुलिंग उपरोक्त प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम) स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकाल उपरोक्त घरेलू दूषित जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसमें से 0.3 घनमीटर प्रतिदिन घरेलू दूषित जल का पुनः उपयोग एवं शेष 3.7 घनमीटर प्रतिदिन घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता का एनबीबीएन तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्स्रावण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकाल हेतु अपनाई जाएगी।

- **सू-जल उपयोग प्रबंधन** - उद्योग स्थल सेंट्रल प्राउन्स वाटर बोर्ड के अनुसार सभी इंडिकल जोन में जाता है। जिसके अनुसार-

(अ) कुहर एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत शुद्ध जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) प्राउन्स वाटर रिचार्ज हेतु अग्लाई नई तकनीक तथा रेनवाटर हावीस्टिंग / ऑटोफिसियल जल रिचार्ज के आधार पर सू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल प्राउन्स वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रबन्धन था। उद्योग को रेनवाटर हावीस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वाटर हावीस्टिंग व्यवस्था** - रेन वाटर हावीस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी ले-आउट सहित प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

11. **कोयले की मात्रा** - वर्तमान स्थापित कोल गैसीफायर आधारित सी-हीटिंग कर्नेल सेलिंग मिल में प्रति टन कोल्स प्रोडक्ट्स के निर्माण हेतु 5,081 टन प्रतिवर्ष कोयले की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्बोक्लाफ के तहत सी-हीटिंग आधारित सेलिंग मिल में प्रति टन कोल्स प्रोडक्ट्स के निर्माण हेतु 14,250 टन प्रतिवर्ष कोयले की आवश्यकता होगी। कोयले का उपयोग केवल कोल गैसीफायर में ही उपयोग किया जावेगा।
12. **प्रतीरुण्ड सासन, यमिज्य एवं उद्योग विभाग, मंडलम के आपन दिनांक 18/03/2007** द्वारा रायपुर जिले की चरला, मिततरा एवं बोनहरा क्षेत्रों में नये सांस आवरण प्लांट एवं कोयला आधारित विद्युत तापीय संयंत्र की स्थापना पर रोक बाध पत्र जारी किया गया था। अतः इंडिकली सील्युटेड एरिया में कोल आधारित सांस विस्तार की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
13. **प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रदूषण भार की गणना में वर्तमान में स्थापित एवं संचालित गैसिफायर-1 में विमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 25 मिलियन/सामान्य घनमीटर से कम रहे जाने से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 8,370 कि.घा. प्रतिवर्ष होना बताया गया है, जबकि पूर्व जारी पर्यावरणीय सर्वेक्षी से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 8,318 कि.घा. प्रतिवर्ष उल्लेखित है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ प्रदूषण भार की विस्तृत गणना कर जानकारी मंगाय जाना आवश्यक है।**
साथ ही समिति का यह भी मत है कि विमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 20 मिलियन/सामान्य घनमीटर रहे जाने हेतु व्यवहारिक रूप से संभव (practically possible) है अथवा नहीं के संबंध में किसी अधिकृत संस्था से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. **विद्युत आपूर्ति बजेट** - वर्तमान में 4.5 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित परियोजना हेतु 8 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति प्रतीरुण्ड राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा।
15. **पूजासौम्य संबंधी जानकारी** - वर्तमान में इवित पट्टिज्य के निकलत हेतु क्षेत्रफल 4,898.8 वर्गमीटर (40.3 प्रतिशत) क्षेत्र में 870 नम पीछे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्बोक्लाफ के तहत क्षेत्रफल 6279 वर्गमीटर (38.8 प्रतिशत) क्षेत्र में अतिरिक्त 800 नम पीछे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि

कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण को ले-आउट में दर्शाते हुए जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. एकिकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्वोदरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्वोदरणीय स्वीकृति का चालन प्रतिबन्धन प्राप्त वन प्रस्तुत किया जाए।
2. छत्तीसगढ़ राजान्, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय के द्वारा दिनांक 18/03/2007 द्वारा रायपुर जिले के चराल, मिलातर एवं बोरझर क्षेत्रों में नदी स्थल आधरन प्लांट एवं बोरझर अन्वयित विस्तृत राष्ट्रीय संघर्ष की स्थापना पर रोक बंधन प्राप्त जारी किया गया था। उक्त लिटिक्ली प्रोव्यूटेड एरिया में बोल अन्वयित बन्धन विस्तार की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाए।
3. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्वोदरण संरक्षण मंत्राल द्वारा जारी सम्मति बलों के चालन में की गई कार्यवाही की विन्धुवार जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. मेसर्स अग्रसेन रि-सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स अविनाश इन्धन प्राइवेट लिमिटेड को अधिग्रहण किये जाने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
5. मेसर्स अविनाश इन्धन प्राइवेट लिमिटेड से मेसर्स अग्रसेन रि-सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड को नाम पर हस्तांतरित किये जाने संबंधी जानकारी/दस्तावेज छत्तीसगढ़ पर्वोदरण संरक्षण मंत्राल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
6. बन्धा विस्तार के तहत रि-डिटिंग सिस्टम मिल (रि-रोल प्रोडक्टर्स) बन्धा-88,800 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,50,000 टन प्रतिवर्ष करने प्रस्ता किया जाना इस संबंध में जानकारी गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. मेसर्स अग्रसेन रि-सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स अविनाश इन्धन प्राइवेट लिमिटेड का लेम्ब एरिया स्टेटमेंट पृथक-पृथक रूप से एवं बन्धा विस्तार उपरान्त लेम्ब एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाए। साथ ही अतिरिक्त भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
8. प्रस्तुतीकरण की दौरान प्रस्तुत प्रदूषण भार की गणना में वर्तमान में स्थापित एवं संयोजित पेशिधायन-1 में विन्धी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रहे जाने से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 8,370 कि.घा प्रतिवर्ष होना बताया गया है, जबकि पूर्व जारी पर्वोदरणीय स्वीकृति में पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 8,318 कि.घा प्रतिवर्ष उल्लेखित है। उक्त उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण की साथ प्रदूषण भार की विस्तृत गणना का जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
9. विन्धी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रहे जाने हेतु व्यावहारिक रूप से संभव (practically possible) है अथवा नहीं के संबंध में किसी अधिकृत संस्था से प्रमाणित कृतकन जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
10. रन वीटर हवीस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी ले-आउट सहित प्रस्तुत किया जाए।

111

0

11. लीज क्षेत्र के कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षाढेयन की ले-आउट में वृद्धि हुये जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उल्लिखित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जायेगी।

समानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के डायन दिनांक 18/01/2023 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 17/03/2023 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 08/08/2023:

समिति द्वारा गली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति पाई गई-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु दिनांक 13/02/2023 को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन किया गया है, जिसे कार्डिनल ई-आई.ए प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत किया जाने हेतु अनुवीक्षित किया गया है।
2. छत्तीसगढ़ सरकार, सचिवाय एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय के डायन दिनांक 18/03/2007 द्वारा रायपुर जिले के उरला, सिलसुटा एवं बीरझर क्षेत्रों में नये स्पेज आवरण प्लांट एवं कोयला आधारित विद्युत तापीय संयंत्र की स्थापना पर रोक बाधक पत्र जारी किया गया था। अतः क्लिटिकली पौल्टुटेड एरिया में कोयला आधारित संयंत्र विस्तार की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निष्पत्ति स्पष्ट करने हुये निम्न लेख प्रस्तुत किया गया है-

"As per the Consent to Operate issued by Chhattisgarh Environment Conservation Board vide no. 974/TB/CECB/2022 dated 12-08-2022, the industry shall use coal only to produce gas from the gasifier and gas shall be used as fuel. Coal shall not be used directly in the production process as fuel. No new reheating furnace(s) shall be installed. No furnace oil, LDO etc. shall be used for production of any process."

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्पत्ति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
4. मेसर्स अग्रसेन रि-टैलर्स प्राइवेट लिमिटेड को 1.214 हेक्टेयर भूमि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल एवं वायु सम्पत्ति नवीनीकरण प्राप्त है। वर्तमान में मेसर्स अग्रसेन रि-टैलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स अविनाश इस्पात प्राइवेट लिमिटेड से 0.4048 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किये जाने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार मेसर्स अग्रसेन रि-टैलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1.6188 हेक्टेयर भूमि में अगता विस्तार के तहत रि-डिज़ाइन रोलिंग मिल (रि-टैलर प्रोडक्ट्स) क्षमता - 1,50,000 टन प्रतिवर्ष प्रस्तावित किया गया है।
5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा मेसर्स अविनाश इस्पात प्राइवेट लिमिटेड से मेसर्स अग्रसेन रि-टैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित किये जाने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कबीर नगर, रायपुर के डायन क्रमांक 4824,

विभाग 02/03/2023 द्वारा चर्चा के तम परिवर्तन के संबंध में जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

6. गैसीफायर 1 एवं गैसीफायर 2 के डिज़ीन जॉकर को बढ़ाकर 22 घंटे प्रतिदिन काले हुए रि-डिज़ीन रोलिंग मिल अमला-69,800 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,50,000 टन प्रतिवर्ष को प्राप्त किया जाएगा।
7. मेसर्स अइलेन रि-रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स अविनाश इस्पात प्राइवेट लिमिटेड का लेम्ब एरिया स्टैलरैट फुचक-फुचक सम से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही क्षमता विस्तार उपरंत ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है।
8. वर्तमान में स्थापित गैसीफायर-1 में विमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 20 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 8,318 कि.घा. प्रतिवर्ष तथा गैसीफायर-2 में विमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 20 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 9,243.07 कि.घा. प्रतिवर्ष है। इस प्रकार वर्तमान में विमनी से कुल पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 17,561.07 कि.घा. प्रतिवर्ष होता है।

अमला विस्तार उपरंत गैसीफायर-1 में विमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 20 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 8,405.034 कि.घा. प्रतिवर्ष तथा गैसीफायर-2 में विमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 20 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 8,405.034 कि.घा. प्रतिवर्ष होगी। इस प्रकार विमनी से कुल पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 16,810.06 कि.घा. प्रतिवर्ष होगी।

9. विमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 20 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखे जाने हेतु व्यवहारिक रूप से संभव (practically possible) है। इस संबंध में अधिकृत संस्था से प्रस्तावित जवाब जानकारी/दस्तावेज फाईनल ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत किये जाने का अनुदेश किया गया है।
10. रेन वॉटर हार्बेस्टिंग व्यवस्था के तहत 3 नग, क्षमता 250 घनमीटर प्रतिवर्ष का निर्माण किया जाना बलया गया है। समिति का मत है कि रेन वॉटर हार्बेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी ले-आउट प्लान में दर्शाते हुए फाईनल ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
11. लैंड क्षेत्र के कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु अधिकृत भूमि की मांग प्रतीत्तनद शसन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से किया गया है, स्वीकृति प्राप्त होने उपरंत वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किया जाएगा। अतः वृक्षारोपण की ले-आउट में दर्शाते हुए जानकारी फाईनल ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत किये जाने का अनुदेश किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरंत सर्वसम्मति से प्रकल्प बी-1 कंटेनरों का होने के कारण भारत सरकार की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रस्तावित स्टैण्डर्ड टर्नर जॉक रिपरीस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायर्ड इन्फार्मरेंट क्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित कंपनी 3(ए) मेटालर्जिकल इन्फ्रस्ट्रक्चर (फैस एण्ड नॉन-फैस) हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) किन्तु अधिकृत विन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुमति की गई-

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of consents issued from Chhattisgarh Environment Conservation Board.
- iii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with chimney height and pollution emission level calculation (for existing & proposed).
- iv. Project proponent shall submit details of water balance chart, ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.
- v. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.
- vi. Project proponent shall submit separate- separate layout plan alongwith KML file of previous consents. Project proponent shall also submit the revise layout plan alongwith KML file after merging of two units for increasing Plantation area and earmarking atleast 20m wide green belt all along the periphery of the project area.
- vii. Project proponent shall submit the details proposal that how to maintain the particulate matter emission below 20 mg/Nm³ all alongwith technical details.
- viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- ix. Project proponent shall submit details of Traffic study report (for existing & proposed).
- x. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).
- xi. EIA study shall be done at minimum 6 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xiii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xvi. Project proponent shall submit the layout plan with KML file of 50% of the total area for plantation and earmarking atleast 20 meter wide green belt all along the periphery of the project area. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details of latitude & longitude alongwith photographs in the EIA report.

- iv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) फरतीसगढ़ को तदानुसार सुचित किया जाए।

8. नैसर्गिक अकोलडीह खपरी लाईन स्टेशन (जो फेज) स्तरीय माईनिंग (श्री.- मोहम्मद अल्लाफ), ग्राम-अकोलडीह, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1813)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर- एसआईए/सीजी/एम्पआईएन/ 87480/2021, दिनांक 09/08/2021 द्वारा सी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमीषी होने से आपन दिनांक 23/08/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/02/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित घना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-अकोलडीह, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 427/1-2, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437/1-2, 438, 439, 440, 441, 443, 445 एवं 447, कुल क्षेत्रफल - 4.09 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता - 39,814.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, फरतीसगढ़ को आपन दिनांक 19/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बीटकी का विवरण -

(ख) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु मोहम्मद अल्लाफ, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सी, प्रस्तुत जानकारी का अद्योक्षण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनकुली का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कर्तव्यहीन बैठक दिनांक का उल्लेख नहीं है। साथ ही प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र में उत्खनन की स्थापना के संबंध में उल्लेख नहीं है। अतः उत्खनन स्थापना एवं उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्खनन योजना - स्तरीय प्लान एलॉग विथ इन्फ्रामरीमेंट मैनेजमेंट प्लान विथ प्रोड्यूसिव स्तरीय स्लोअर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प.), संचालनालय, भीमिडी तथा खनिज, तथा रायपुर अटल नगर के आपन क्रमांक 4379/खनि 02/मा.प.अनुमोदन/न.क.04/2019(3) नका रायपुर, दिनांक 18/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 667/ख.शि./वीन-8/2021 रायपुर, दिनांक 31/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 87 खदानें, क्षेत्रफल 187.39 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 667/ख.शि./वीन-8/2021 रायपुर, दिनांक 31/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रोड, पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनोकाट, मकान, स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मस्जिद, पारिस्थितिक स्थल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1478/ख.शि./वीन-8/च.प./2021 रायपुर, दिनांक 02/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी कैंपता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक की। परिवोधना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. के कैंपता वृद्धि हेतु आवेदन किया जाता बताया गया है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 450/1-2, 459 एवं 483 आवेदक के नाम पर है। भूमि खसरा क्रमांक 427/1-2, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 451, 454, 458, 461, 463, 485 एवं 482 मोहम्मद अख्तर के नाम पर है। परिवोधना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र में सहमति देने वाले में मोहम्मद अख्तर एवं अब्दुल हक तथा सहमति नाने वाले में मोहम्मद अख्तर का नाम उल्लेखित है, जबकि खदान मोहम्मद अख्तर के नाम पर है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही भूमि खसरा क्रमांक 453 का भूमि संबंधी वस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलधिकारी रायपुर वनमण्डल, जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/वा.दि./रा 5573 रायपुर, दिनांक 30/10/2019 से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार उक्त क्षेत्र में 19 नम बरूल एवं 7 नम सफेद बरूल पाये गए हैं।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-अकोलडीह 1.88 कि.मी., स्कूल ग्राम-बटीव 3.81 कि.मी. एवं अस्पताल चरिया 5.13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। नाला 60 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परिवोधना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित विटिकली पोस्चुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - डिपॉजिटिज्मल रिजर्व 17,38,250 टन, साईनेबल रिजर्व 7,23,753 टन एवं निकथरेबल रिजर्व 8,87,585 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 10,740 वर्गमीटर एवं लीज क्षेत्र के कुछ भाग में बीसई कम होने के कारण 700

वर्ग मीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। औपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की अनुमति अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में कुपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 60,860 घनमीटर है। क्षेत्र की लंबाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 19 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खनन स्थपित किया जाना अनुमति है, जिसका क्षेत्रफल 1,015 वर्गमीटर है। जैक हेनर से डिजिटल एवं कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार अनुमति उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	अनुमति उत्खनन (टन)	वर्ष	अनुमति उत्खनन (टन)
प्रथम	37,762.5	अष्टम	38,790
द्वितीय	37,867.5	नवम	39,000
तृतीय	38,220	दशम	39,262.5
चतुर्थ	38,407.5	ग्यारह	44,280
पंचम	38,700	बारह	45,735

13. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.48 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. **कुसारीपथ कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में घाटी और 7.5 मीटर की घाटी में 2,000 नम कुसारीपथ किया जाएगा।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा घाटी में उत्खनन** - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा घाटी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. **ई.आई.ए. मॉनिटरिंग** के पूर्ण परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्ण में सूचना नहीं दी गई। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि ई.आई.ए. मॉनिटरिंग का कार्य अक्टूबर, 2021 से दिसंबर, 2021 के मध्य किया गया है। ई.आई.ए. मॉनिटरिंग किये जाने के संबंध में मॉनिटरिंग किये गये स्थान की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. लीज क्षेत्र से नाला 80 मीटर दूर है। समिति का मत है कि नर्वावस्थीय दृष्टिकोण से नाले को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्खनन सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. **अखन स्थापना एवं उत्खनन** के संबंध में ग्राम पंचायत का अनारपति प्रमाण पत्र (कार्यवाही विवरण सहित) प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तुत संहति पत्र में संहति देने वाले में मोहम्मद अस्ताक एवं अब्दुल हक तथा संहति पाने वाले में मोहम्मद अखन का नाम उल्लेखित है, जबकि खदान मोहम्मद अस्ताक के नाम पर है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ संहति पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही भूमि खनन क्रमांक 458 का भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज सीमा के निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनारपति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

5. ईआईए मॉनिटरिंग किये जाने के संबंध में मॉनिटरिंग किये गये स्थान की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. ऊपरी मिट्टी के रक-रकान एवं बंधन हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नाले को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त सार्वजनिक जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उपानुसार एल.ओ.आई.सी. कलकत्ता के ज्ञान दिनांक 11/07/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अध्ययन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. उत्खनन एवं उत्तर की स्थापना के संबंध में ज्ञान पंचायत बनसुरी का दिनांक 12/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रस्तुत सहमति पत्र अनुसार सहमति देने वाले मोहम्मद अख्तर एवं अब्दुल हक तथा सहमति पाने वाले में मोहम्मद अल्लाह है। साथ ही भूमि खरवा क्रमांक 458 का भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. कार्यालय बनगम्हलखीकरी, तबपुर बनगम्हल, जिला-रायपुर के ज्ञान क्रमांक/ब.उ.अ./रा/2978 तबपुर, दिनांक 29/11/2022 के जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।
4. एल.ओ.आई.सी की काला वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि एल.ओ.आई.सी की काला वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रतिबन्धीन है।
5. ईआईए मॉनिटरिंग किये जाने के संबंध में मॉनिटरिंग किये गये स्थान की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत किया गया है।
6. ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 60,860 घनमीटर है तथा लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 10,740 वर्गमीटर है। ऊपरी मिट्टी की लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर कुशादीपन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तावित स्थल में 28" का स्लोप रखते हुए 1 मीटर की ऊंचाई तक ऊपरी मिट्टी को बंधारित कर कुशादीपन किये जाने हेतु तथा हीन ऊपरी मिट्टी का बंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. लीज क्षेत्र की 500 मीटर के भीतर कोई नाला नहीं होना बताया गया है। प्रस्तुत काली प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के परिधि दिशा में 60 मीटर दूरी पर जल रोकत नाला रखना गया है। समिति का मत है कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नाले को प्रदूषित होने से बचाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही प्रस्तावित परियोजना हेतु जल की आपूर्ति संबंध एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उल्लेख्य कार्यसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था—

1. भूमि खसरा क्रमांक 458 का भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नाले को प्रदूषित होने से बचाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल में 38' का सतही रखते हुए 1 मीटर की ऊँचाई तक ऊपरी मिट्टी को मण्डारित कर वृक्षारोपण किये जाने हेतु तथा शेष ऊपरी मिट्टी का संरक्षण योजना प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रस्तावित परियोजना हेतु जल की आपूर्ति संबंधी एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बाधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., फरतीसगढ़ को द्वारा दिनांक 24/02/2023 के परिशेष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 17/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 08/06/2023:

समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भूमि खसरा क्रमांक 458 आवेदक के नाम पर है।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत न्यायालय संचालक, सीमिकी तथा सभिकर्मा, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 85/2022 द्वारा जारी चरित आवेदक दिनांक 02/03/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार "चमरोला विवेचना के अन्तर्गत पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, यह निर्दिष्ट किया जाता है कि फरतीसगढ़ गाँव सभिक नियम, 2015 के नियम 42(3) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उल्लेख्य पदार्थ स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलैक्टर, जिला रामपुर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।
3. पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नाले को प्रदूषित होने से बचाने हेतु लीज क्षेत्र में पावलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक का निर्माण किया जाएगा।
4. ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 60,980 घनमीटर है जिसमें से 8,987 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उल्लेखन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण किया जाएगा तथा शेष ऊपरी मिट्टी का उल्लेख्य क्रमशः आने वाले वर्षों में किया जाएगा एवं 5 वर्ष उपर्युक्त अवधि 12 मीटर गहराई के पिट के पुनःमराव में उपयोग किया जाएगा।
5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत सेंट्रल हाउसिंग बोर्ड अधीनस्थ की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

6. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल वेध, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च सम्बंधित विषयगत सारकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्बन्धि से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. कार्बोलाय क्लस्टर (खनिज खाना), जिला-राजपुर के ज्ञापन क्रमांक 687/ख.लि./टीन-6/2021 राजपुर, दिनांक 31/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 87 खदानें, क्षेत्रफल 167.38 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-असोलडीह) का रकबा 4.09 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-असोलडीह) को मिलाकर कुल रकबा 171.48 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान भी 'श्रेणी 1' श्रेणी की गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्बन्धि से प्रकल्प 'श्रेणी 1' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकल्पित स्टैम्पड टर्न ऑफ रिजर्वेशन (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिजर्वेशन इन्वायरनमेंट प्रोटेक्शन अधिनियम, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैम्पड टैओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे काले हाईलाइट प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- vii. Project proponent shall submit the copy of panchama and photographs of every monitoring station.
- viii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines

located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

- ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall undertake plantation (tree species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य सार्वजनिक पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स श्री चंवराम चक्रवर्ती (परीनांव साईल/आर्डिनरी ब्ले ल्यारी), ग्राम-नरैगांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ली क्रमांक 1488)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नंबर - एसआईए/ सीजी/ एम्बआईएन/ 181387/2020, दिनांक 02/11/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिटी होने से ज्ञापन दिनांक 17/11/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंतिम जानकारी दिनांक 24/02/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (मीन खनिज) खदान एवं क्विटा किमोई ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-नरैगांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक - 400/1(घाटी), 400/2(घाटी), 401(घाटी) एवं 402, कुल क्षेत्रफल - 0.882 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 800 क्यूबमीटर (ईट उत्पादन इकाई 6,00,000 मग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 40वाँ बैठक दिनांक 24/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु की संवहन जानकारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्ई में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- a. पूर्ई में मिट्टी कावान खसत क्रमांक 400/1, कुल क्षेत्रफल-0.882 हेक्टेयर, लम्बा-600 घनमीटर (600 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला नारीय पर्यावरण सहायात कार्यालय प्रतिकल्प, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 14/03/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 21/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- b. परियोजना प्रत्यावक द्वारा पूर्ई में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों को पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रत्यावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर में पूर्ई में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन ज्ञाप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- c. निर्धारित शर्तानुसार क्लेयरेंस नहीं किया गया है।
- d. कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2167/खनि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 13/12/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2007-08	250	2014-15	निरंक
2008-09	300	2015-16	निरंक
2009-10	225	2016-17	निरंक
2010-11	300	2017-18	80
2011-12	275	2018-19	800
2012-13	150	2019-20	300
2013-14	निरंक	2020-21	निरंक

- a. वर्ष 2018-19 में उत्खनन 800 घनमीटर किया गया है जो कि पर्यावरणीय स्वीकृति समत 600 घनमीटर से अधिक है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रत्यावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-राजनांदगांव से प्राप्त विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में मिट्टी एवं नलाई ऐश की कुल मात्रा का उल्लेख है। इस संबंध में समिति का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-राजनांदगांव से विगत वर्षों में किये गये मिट्टी उत्खनन की ज्ञापित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. ग्राम पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत परेगांव का दिनांक 09/04/2011 का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्स्टापरमेट केनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उन संघायक (खनिज साखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन

क्रमांक/क./ख.लि./लीन-8/2018/1032 रायपुर, दिनांक 09/02/2018
ज्ञाप अनुसंधित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 365/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 22/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 365/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 22/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेल लाईन, नहर, मकान, धार्मिक स्थल, नगरपालिका, स्कूल, पुल, कलवर्ट, बांध, नल जल योजना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग आवाही क्षेत्र, अस्पताल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. लीज का विवरण - लीज श्री रंजना कल्याणी के नाम पर है। लीज बीड 5 वर्षी अवधि दिनांक 23/06/2007 से 23/06/2012 तक की अवधि हेतु रैफ थी। जिसका प्रथम नवीनीकरण दिनांक 23/06/2012 से 23/06/2017 तक की अवधि हेतु की गई थी। तत्पश्चात् लीज बीड 20 वर्षी अवधि दिनांक 23/06/2017 से 22/06/2037 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 402/1 श्री योगेश, दुबिकल, बीसली टोपा, श्री रामचंद्र, मौलमनी खसरा क्रमांक 400/2, 402 श्री इन्द्रावत एवं खसरा क्रमांक 401 आदिदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमन्त्राल अधिकारी, राजनांदगांव वनमन्त्राल, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./ख.लि./न.क्र. 10-1/2020/8814 राजनांदगांव, दिनांक 08/11/2020 से जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 11.51 कि.मी. दूर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवाही घाट-बर्नांव 750 मीटर, स्कूल घाट-ठाकुरटोला 32 कि.मी. एवं अस्पताल राजनांदगांव 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 32 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8.5 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 110 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्य संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्य क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संख्या एवं खनन का विवरण - जियोलाजिकल रिजर्व 17,240 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 12,318 घनमीटर एवं रिक्वायर्ड रिजर्व 11,064 घनमीटर है। वर्तमान में रिक्वायर्ड रिजर्व 6,296 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा काट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 527 वर्गमीटर है। औपन कार्ट मैपुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित

211

0

अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बीच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.18 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु बहुत स्थापित है, जिसकी किस्त किन्नी की ऊंचाई 35 मीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 60 प्रतिशत प्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 12.84 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	600	चतुर्थ	600
द्वितीय	600	पंचम	600
तृतीय	600	अष्टम	600
चतुर्थ	600	नवम	600
पंचम	600	दशम	600

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा एवं जल आपूर्ति स्रोत संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही संबंधित विभाग से अनाधिकृत ज्ञान पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. कृषारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में क्वारी और 1 मीटर की गहराई में 200 नम कृषारोपण किया जाएगा।
15. कोर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा उत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के फलन में की गई कार्यवाही की किन्तुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नया रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार कृषारोपण इली वनरून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Marking) एवं पीछे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन हेतु भूमि स्वामिनों से सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत का अद्यतन अनाधिकृत ज्ञान पत्र (कर्मचारी बैठक सहित) प्रस्तुत किया जाए।
5. एक लाख ईट निर्माण हेतु कोयला की मात्रा एवं रिजिस्ट./डोकन किस्त के उपयोग संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज साख), जिला-राजनांदगांव से विगत वर्ष (खदान प्रारंभ तिथि से वर्तमान तिथि तक) में किये गये मिट्टी उत्खनन की प्रस्तावित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, जल आपूर्ति स्रोत संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही संबंधित विभाग से अनाधिकृत ज्ञान पत्र प्रस्तुत किया जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त सहित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रथम दिनांक 11/07/2022 के परिप्रेक्ष में परिवोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/03/2023 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 09/06/2023:

समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही परिवोजना प्रस्तावक का कथन है कि यह प्रकरण समता विस्तार के अंतर्गत नहीं आता है। अतः सत्यापित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है। यदि सत्यापित पालन प्रतिवेदन जमा किया जाना अनिवार्य है, तो कम से 6 माह का समय प्रदान करके हृद्य पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध है। इस संबंध में समिति का मत है कि परिवोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय पर्यावरण, वन एवं जलसंयुक्त परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार निर्धारित शर्तानुसार कुसाटोपन करते हुए पीछी में संख्यांकन (Marking) एवं पीछी के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परिवोजना प्रस्तावक का कथन है कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त खदान प्रारंभ होने पर कुसाटोपन कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। समिति का मत है कि जो पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति के अंतर्गत शर्तानुसार कुसाटोपन करते हुए पीछी में संख्यांकन (Marking) कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत करने कक्षा गया था, उसके अनुसार जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. उत्खनन हेतु दान पंचायत का अद्यतन अनुपस्थित प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. एक लाख ईट निर्माण हेतु 5 टन कोवला का उपयोग किया जाएगा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ टूटे हुए ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग धौंस सर्ग एवं डील रोड के संभारण में किया जाएगा।
6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-राजनांदगांव की प्रथम क्रमांक 1235/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 07/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	मिट्टी उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	मिट्टी उत्खनन (घनमीटर)
2007-08	250	2015-16	निरंक
2008-09	300	2016-17	निरंक
2009-10	225	2017-18	800

2010-11	300	2018-19	600
2011-12	275	2019-20	150
2012-13	150	2020-21	निरंक
2013-14	निरंक	2021-22	निरंक
2014-15	निरंक		

7. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरोल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत कंपनी द्वारा प्रारम्भ वीटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at nearby, Village-Bharogaon	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
			Van Nirman	3.37
Total			3.37	

सीईआर के अंतर्गत "परिवेक वन निर्माण" के तहत (नीम, आम, जामुन, कटहल, कर्ज आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 नग पौधों के लिए राशि 52,800 रुपये, पौधों के लिए राशि 50,000 रुपये, खाद एवं मिट्टाई के लिए राशि 50,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,76,800 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 1,80,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त पंचायत बर्नाव के सहयोग परसंत कल्याण स्थान (खसरा क्रमांक 289/1, रकबा 9.8340 हेक्टेयर में से 0.5 हेक्टेयर में) को संकेत में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

9. सीज क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 1 मीटर की कट्टी में 200 नग वृक्षारोपण (आम एवं नीम) किया जाना है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 110 नग वृक्षारोपण हेतु 5 वर्षों का घटकवार व्ययवार विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सीज सीमा क्षेत्र में कुल 200 नग वृक्षारोपण (सालवार वृक्षों की प्रजाती को छोड़कर) हेतु 5 वर्षों का घटकवार व्ययवार विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नॉटिफाईड स्वामी जंगल (एनॉन विथ इन्फॉरमेटेड सेल्फोर्नेट प्लान एन्ड स्वामी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.) संचालनानुसू, भूमिहीन तथा खनिज, तथा राष्ट्रीय अटल

नगर के डायन क्रमांक 8139/समि 02/भा.प.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(1) नया रायपुर, दिनांक 29/09/2022 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार—

जियोमेट्रिकल रिजर्व 17,240 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 10,935 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 7,690 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 524 वर्गमीटर है। खोपन कार्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 3 मीटर है। बेस की चौड़ाई 1 मीटर एवं लंबाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र की सीमा 2,620 वर्गमीटर में भरदा, रेस्ट सेक्टर एवं स्टाईल प्रोसेसिंग एरिया स्थापित है। किल्ला चिमनी की लंबाई 30 मीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 30 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 13.47 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित जारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खन (घनमीटर)
प्रथम	600
द्वितीय	600
तृतीय	600
चतुर्थ	600
पंचम	600

समिति द्वारा निम्न विनर्त उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नया रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार निर्धारित शर्तानुसार कुआरोपन इसी मानचूच में करती हुए पीछे में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों की सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत का खदान अनामति ज्ञापन पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज सीमा क्षेत्र के शर्तों और 1 मीटर की पट्टी में कुल 200 नग कुआरोपन (फसलदार प्लांट की प्रजाति को छोड़कर) हेतु 5 वर्षों का घटकवार व्यवहार विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बाधित जानकारी/दस्तावेज जथा होने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को उदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-4: अजय्य महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

राज्य सार्वीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसई/एसी), छत्तीसगढ़ की 450वीं एवं 451वीं बैठक क्रमशः दिनांक 28/03/2023 एवं 29/03/2023 को संलग्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक 03/04/2023 को किया गया।

बैठक बन्धसाद आगमन के साथ संलग्न हुई।



(श्री. की. चण्डन रेड्डी)

सदस्य सचिव

राज्य सार्वीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़



(श्री. बी.पी. निंबारे)

अजय्य

राज्य सार्वीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR BUILDING CONSTRUCTION PROJECT OF HOSPITAL BY M/S. RCM KOKILABEN DHIRUBHAI ANSARI HOSPITAL (AT KHASRA NUMBER 666, 667/2, 668/2 (669/2), 670/1, 670/2 AND 671 (672), VILLAGE-MOWA, TEHSIL & DISTRICT- RAIPUR, PLOT AREA - 11,160 M² (2.76 ACRE) FOR THE PROPOSED BUILTUP AREA - 31,448.2 M²

This environmental clearance is being given subject to the following conditions. These conditions should be read very carefully and it should be ensured to follow them strictly.

I. Statutory Compliance:

- i. The project proponent shall obtain all necessary clearance / permission from all relevant agencies including Town & Country planning authority before commencement of expansion work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
- ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of Buildings due to earthquakes, adequacy of fire fighting equipment etc as per National Building Code including protection measures from lightning etc.
- iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/ Committee.
- iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water / surface water required for the project from the competent authority.
- v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
- vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
- vii. The provisions of the Solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, The Biomedical waste (Management and Handling) Rules, 2016 (As amended) and the Plastic Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
- viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power strictly. Use of chillers shall be CFC & HCFC free.

II. Air Quality Monitoring And Preservation

- i. Notification GSR 94(E) dated 25/01/2018 of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi regarding Mandatory Implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for projects requiring Environmental Clearance shall be complied with.
- ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
- iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM₁₀ and PM_{2.5}) covering upwind and downwind directions during the construction period.
- iv. Diesel power generating sets proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment

Handwritten signature

Handwritten mark

(Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.

- v. The gaseous emissions from DG set shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
- vi. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. Management shall ensure that green net shall be used during construction activities to control the fugitive emission. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site (at least 3 meter height). Plastic tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, muram and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site.
- vii. Sand, muram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
- viii. Ungarved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
- ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.
- x. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India

III. Water Quality Monitoring And Preservation

- i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.
- ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
- iii. Total fresh water use shall not exceed the 250 m³/day as provided in the project details.
- iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar along with six monthly Monitoring reports.
- v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed, the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

- vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious.
- vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water for flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
- viii. Use of water saving devices/ fixtures (viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
- ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
- x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
- xi. The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provision is not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Byelaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.
- xii. Water shall be sourced from Raipur Municipal Corporation or CGWA as per the proposal submitted. Project proponent shall develop rainwater-harvesting structures for 100% harvesting of rainwater in the premises for recharging the ground water table. Rainwater from open spaces shall be collected and reuse for landscaping and other purposes. Rooftop rainwater harvesting shall be adopted for the buildings & residential blocks to be constructed by individual building. Every building shall have rainwater-harvesting facilities. The storm water flowing in roadside drains shall also be recycled and reused to maintain the vegetation and discharged into natural water bodies. Before recharging the surface runoff, pre treatment must be done to remove suspended matter and oil & grease. Rainwater harvesting pits shall be constructed as per proposal.
- xiii. All recharge should be limited to shallow aquifer.
- xiv. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.
- xv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar along with six monthly Monitoring reports.
- xvi. During construction phase septic tank and soakpit shall be used for sewage. During commissioning of the hospital sewage shall be treated in the STP of capacity 250 m³/day with tertiary treatment. Ozonation process shall be used for disinfection. The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing, AC make up water and gardening. Zero discharge condition shall be maintained. Project proponent shall install separate electric metering arrangement with time totalizer for the running of pollution control systems. The record (logbook) of power & chemical consumption for running the pollution control systems shall be maintained.
- xvii. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
- xviii. Onsite sewage treatment of capacity of treating 100% waste water to be installed. The installation of the Sewage Treatment Plant (STP) shall be certified by an independent expert and a report in this regard shall be

Handwritten signature

Handwritten signature

- submitted to the Ministry before the project is commissioned for operation with expanded capacity. Treated waste water shall be reused on site for landscape, flushing, cooling tower, and other end-uses.
- xix. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problem from STP.
 - xx. Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013. The sludge generated from Sewage Treatment Plant (after drying) shall be used as manure for gardening purpose.

IV. Noise Monitoring And Prevention

- i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/residence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitored during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB / SPCB.
- ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.
- iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground-run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation Measures

- i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- ii. LED lights shall be used in project premises.
- iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
- iv. Energy conservation measures like installation of LED for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.
- v. Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level / local building bye-laws requirement, whichever is higher.
- vi. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. Waste Management

- i. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the M.S.W. generated from project shall be obtained.

Waste	Quantity	Disposal
Municipal Solid Waste	525 kg/day	The garbage will be segregated at source through collection bins into Bio-degradable waste and Non bio-degradable wastes. Plastic waste will be given to the waste recyclers and bio-degradable waste will be disposed to the Municipal Corporation bins. Kitchen & food waste generated will be bio-composted within the project site premises & will be used as manure for greenbelt development.
Bio-medical waste	113 kg/day	Will be disposed as per Bio-medical Waste (Management and Handling) Rules.
Sludge from STP	10.7 kg/day	Stored in HDPE bags and will be used as manure / given to farmers.
Waste Oil	50 lit/Annun	Will be given to SPCB approved vendors.

ii. Bio-medical waste-

Category	Quantity	Types of waste	Disposal
Yellow	approx 65 kg/day	Human anatomical wastes, Soiled wastes, expired or discarded medicines, chemical waste and liquid chemical waste, discarded bed sheets mattress, gown, masks, Microbiology, Biotechnology and other clinical laboratory wastes.	Waste will be segregated in a Yellow bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility
Red	approx 23 kg/day	Contaminated plastic wastes.	Waste will be segregated in a Red bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
White	approx 7 kg/day	Waste sharps including metals.	Waste will be segregated in a White bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
Blue	approx 18 kg/day	Metallic body implants and glassware.	Waste will be segregated in a Blue bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
Total	113 kg/day		

- iii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
- iv. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste shall be segregated into wet garbage and inert materials.
- v. Organic waste compost/ Vermiculture pit/ Organic Waste Converter within the premises with a minimum capacity of 0.3 kg /person/day must be installed.

- vi. All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.
- vii. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.
- viii. Use of fly ash based bricks / blocks / tiles / products shall be ensured. Blended cement with fly ash shall be used. The provisions of notification issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India regarding use of fly ash must be complied with. Appropriate usage of other industrial wastes shall also be explored. Soil borrow area should be filled up with ash with proper compaction and covered with topsoil kept separately. Fly ash / pond ash shall be used for low-lying areas filling. In embankments / road construction etc. ash shall be utilized as per guidelines of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India / Central Pollution Control Board / Indian Road Congress etc. concerning authorities. The use of perforated brick / hollow blocks / fly ash based lightweight aerated concrete etc. shall also be ensured so as to reduce load on natural resources.
- ix. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003, 25th January, 2016, 31st December 2021 and 30th December 2022. Ready mixed concrete must be used in building construction.
- x. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the Construction and Demolition Rules, 2016.
- xi. Used LEDs and CFLs should be properly collected and disposed off / sent for recycling as per the prevailing guidelines / rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. Green Cover

- i. No tree can be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolutely necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted).
- ii. Green belt shall be developed in an area equal to 10% of the net planning area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the constructed. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.
- iii. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.
- iv. Topsoil should be stripped up to a certain depth from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reappplied during plantation of the proposed vegetation on site.

VIII. Transport

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public, and private networks. Road should be designed with due consideration for environment, and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.
 - a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic.
 - b. Traffic calming measures.
 - c. Proper design of entry and exit points.
 - d. Parking norms as per local regulation.
- ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.
- iii. A detailed traffic management and traffic decongestion plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the roads within a 05 kms radius of the project is maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of all development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management plan shall be duly validated and certified by the State Urban Development department and the P.W.D./ competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.
- iv. The project proponent shall use covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of construction materials and C&D wastes.

IX. Human Health Issues

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- iv. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. Corporate Environment Responsibility

- i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-652017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall made CER fund as follows:-





Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
6000	2%	120	Following activities at Raipur (application to Raipur Collector for land allotment)	
			Eco Park Niman in VIP road, Raipur	123.94
			Total	123.94

- ii. The Project proponent shall submit progress report of work of Corporate Environmental Responsibility (CER) for every 6 months in SEIAA/SEAC, C.G.
- iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.
- iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Abal Nagar / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
- vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
- vii. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

XI. Miscellaneous

- i. Local persons shall be given employment during development and operation of the site.
- ii. The Project proponent shall submit progress report of work of Corporate Environmental Responsibility (CER) for every 6 months in SEIAA/SEAC, C.G.
- iii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies

in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

- iv. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- v. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely, PM₁₀, SO₂, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- vi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change at Environment Clearance portal.
- vii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.
- viii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.
- ix. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.
- x. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.
- xi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- xii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
- xiii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- xiv. Integrated Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.
- xv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

- vi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 18 of the National Green Tribunal Act, 2010.
- vii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).


Member Secretary, SEAC


Chairman, SEAC

नेसर्ल विंडोहीट आइन्ही स्लोन मार्टिन (जी-बी नवीन कुमार अथवा)
की खजारा क्रमांक 247 एवं 248, कुल लीज क्षेत्र 1,001 हेक्टर, ग्राम-विंडोहीट,
महली-धनजयपुर, जिला-रायपुर में साधारण फसल (गौण खनिज) उत्खनन - 8,858
टन (3,330 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षमकाल (लीज क्षेत्र) 1,001 हेक्टर अथवा उत्तीर्ण्य खान, खनिज खान विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (टोनी में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण फसल का अधिकतम उत्खनन 8,858 टन (3,330 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कनाकर फसल नुसार अग्राह्य जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की काला भासा सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) के प्रावधानों से पालन रखनी।
5. मानवीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माइनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करावे जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक निवृत्त करना है।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा कृषारोपण हेतु पुनः उपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सॉफ्टीर की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भासा सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा उत्तीर्ण्य पर्यावरण संरक्षण संकलन द्वारा अधिसूचित मानक (जी बी कटीर ही) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. यदि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खानन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनको री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियाँ, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयं प्राधिकारी से अनुमोदित माइनिंग क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. मू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो ताँ) हेतु केंद्रीय मू-जल बोर्ड से परामर्श आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. विनीत विनयी / वीट / पाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिशीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। ऊपर, स्वयं, ट्रांसफर प्लांट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च क्षमता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। स्वनिज उत्सर्जन प्रतिबंधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न क्विजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पर्युन चार्ज, ईन्, संयोजन क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर कंटेनमेंट कम संयोजन सिस्टम एवं जल सिंक्रेशन की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संयोजन सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. वाहनों, खनन एवं अन्य क्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संचालन अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार रखा जाएगा। उत्सर्जन क्षेत्र में परिलोपीय वायु की गुणवत्ता बनात सरकार के पर्यावरण, जल और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 1.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढंप / सम्भारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
12. उत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सोईल) का उपयोग उत्सर्जन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरलैंड को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सोईल) को लीज क्षेत्र से बाहर पृथक से सम्भारित करने की अनुमति नहीं होगी।
13. ओवरलैंड एवं अनुपयोगी/बिडी अयोग्य स्वनिज (वेस्ट रोक) को पृथक से पूर्व से विन्हीत स्थल पर सम्भारित किया जाएगा। इस प्रकार के सम्भारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि सम्भारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विचरित प्रभाव न डाल सकें। ढम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्रोत 28 दिग्दी से अधिक न हो। ओवरलैंड ढम्प का सतत रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंड एवं अन्य अनुपयोगी/बिडी अयोग्य स्वनिज (वेस्ट रोक) को खनन के परचात बने गड्ढों में पुनःमलन (रिक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा उचित वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिन्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु पाईन पीट तथा ढम्प क्षेत्र में विटमिंग वॉल / गारोलेन्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
16. स्वनिज का परिवहन मकानेकाली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि स्वनिज राहन से बाहर नहीं गिरे। स्वनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
15.5	2%	0.31	Following activities at Govt. Primary school Village- Chirodih	
			Portable Drinking water facility (Aqua-guard Crest UV water purifier)	0.150
			Plantation work	0.150
			Total	0.310

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित स्कूल के प्रचार से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आंशवर्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
19. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त पठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खोद/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आन्के द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
21. उल्लेखन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हील रोड, जीवनवर्धन ग्राम आदि में स्थानीय प्रजाति के 800 पौधों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। इतित पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
22. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, दीपल, नीप, करंज, सीसू, आम, इनली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 नग पौधों का रोपण (कुल 800 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या कस्टोडियर तार के बाड़ अथवा ही गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की वसा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
23. उचित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख कर्ता हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी वाला प्रतिवेदन की साथ जमा करें।

24. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर स्थित वृक्षारोपण किये जाने एवं संरक्षित पौधों का सत्याईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का एक-एकान्ता आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करने हेतु मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
25. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्थोफोटिक रिपोर्ट में समहित करने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को संकेत किया जाए।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य बनना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
27. परियोजना से दिन-दिन स्थलों से पशुधितिव अल्ट. उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बावन्धी निल्लर्वा द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 (DB(A)) एवं रात्रि के समय 70 (DB(A)) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
31. पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (मलवाई पीसा) को चकने से चकने हेतु पर्याप्त एवं स्वस्थ व्यवस्था किया जाए। पैट डिजिटिंग अथवा कणु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अपरिचित डिजिटिंग किया जाए, जिससे अल्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
32. उत्खनन प्रक्रिया में-जल स्तर के उतार असंतुप्त ज्ञान में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया में-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि समीप स्थित वनस्वतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, वनस्वतियों का समुचित संरक्षण अपनाया जायित्व होगा।
34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुसूचित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माइनिंग एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
35. कार्य स्थल पर यदि कंमिन्स श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के अत्याच एवं मुक्त हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
36. श्रमिकों के लिए खानन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकित्वासीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
37. श्रमिकों का समय-समय पर आवश्यकता अनुसार हेल्थ सर्किलेंस कराना आवश्यक है।

38. उल्लानन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उल्लानन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उल्लानन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आह्वय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य संस्थान पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी संस्थान को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारी के अधिकरण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनी / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
40. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिवोजना की स्पर्शा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा समावेशन / निरस्तारण के मामलों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
41. परिवोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परिवोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आह्वय की सूचना प्रसारित करेगा कि परिवोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ लोकपाल, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अद्योक्तन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivaha.in पर भी किया जा सकता है।
42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्रवाही की अर्ज वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परिवोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्व सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के निदेशिका/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
45. परिवोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विधियों, परिशुद्धकृत और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संयंत्र) विधायक, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. चल्लीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. चल्लीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. चल्लीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तों निर्दिष्ट करने कावत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. चल्लीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिद्वीप संरक्षण, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

47. चल्लीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उगलें क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-आधार एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिवस की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

देसासं वषावू आर्विनरी स्टाॅन माईन (पी- भी ब्रॉय सिंथ)

की खसरा क्रमांक 1303/1, 1303/4, 1307, 1309/1, 1380/3 (सामिल 1380/15/1), 1310, 1380/8, कुल लीज क्षेत्र 2.181 हेक्टर पर, घान-वषावू, तहसील-मरवाही, जिला-गीरवा-पेन्हा-मरवाही में सत्कारण पल्लर (लीज खनिज) उत्खनन - 20,109 टन (7,182 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2.181 हेक्टर पर अथवा छलीसगढ़ सासन, खनिज सासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (टोनी में से जो कम हो) हेतु मान्य होना। इसी प्रकार खदान से सत्कारण पल्लर का अधिकतम उत्खनन 20,109 टन (7,182 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाये जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी खसरा में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), को उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (ज्या संबंधित) के प्रावधानों को तहत नहीं होगी।
5. सामग्रीय एन.पी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परिवोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार के दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निम्नारित नहीं किया जाए, अनिष्टु इस प्रक्रिया में अथवा कुलतोरण हेतु पुनःउत्पन्न किया जाए। घरेलू दूषित जल के उत्पन्न के लिए सेंट्रिक टैंक एवं सोकरोट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निम्नारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आवस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल को पुनःउत्पन्न भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा भारतक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खान परिधिधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रॉसिंग (re-grassng) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस निधि तक किया जाएगा, जिससे यह घारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पन्न हेतु उपयुक्त हो। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा स्वाम प्रधिकारी से अनुमोदित माईन स्लोअर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. नू-जल के उपयोग (यदि विन्या जला हो ताँ) हेतु केन्द्रीय नू-जल बोर्ड से पराखन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्ता की जाए।
9. किसी विमनी / वेद / चाईट सोरी से पार्टिकुलेट मैटर उत्सार्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर के कम सुनिश्चित विन्या जाए। ऊपर, सविन, ट्रांसफर प्राइडक (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का डेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज पराखन परिशिष्टियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न क्लूजिटिव डस्ट उत्सार्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं निरपेक्ष रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैन्, संरक्षण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सार्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्सेट कम संरक्षण सिस्टम एवं जल सिस्तेम की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संभालन / संभालन सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. वाहनों, खनन एवं अन्य क्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार रखा जाएगा। पराखन क्षेत्र में पर्यावरणीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का संग्रह / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
12. पराखन क्रिया के दौरान हटाई गई कपरी मिट्टी (टीप सोईल) का उपयोग पराखन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरलैंडिंग को सिवर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। कपरी मिट्टी (टीप सोईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
13. ओवरलैंडिंग एवं अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से विन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा सतह 25 डिग्री से अधिक न हो। ओवरलैंडिंग डम्प का संरक्षण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीकों से वृक्षारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंडिंग एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पराखा बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा उचित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. पर्यावरण प्रसावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन क्रिया से उत्पन्न सिस्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में ड्रिपडिट न हो। इसे रोकने हेतु चाईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेन्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
16. खनिज का परिवहन मरुभूमि सड़कें बाह्य से किया जाए, ताकि खनिज बाह्य से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को समता से अधिक नहीं भर जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रसाव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-





Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
37.14	2%	0.74	Following activities at Govt. Primary School Kharkatola Village- Ushahth	
			Installation of separate water tank for drinking	0.21
			Installation of UV water filter and its AMC	0.25
			Running water arrangement in toilets	0.20
			Donation of books related to Environment Conservation & Aimsa	0.10
Total			0.78	

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्राथमिक कार्य के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित स्कूल के प्रधान से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्थात्वारिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना अत्यंत उत्तमोद्योगिक होगा। कुशलरूपम असफल होने पर पर्यावरण सौन्दर्यति निरस्त की जायेगी।
19. सी.ई.आर. एवं कुशलरूपम कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रशासनिक पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशलरूपम का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त पठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
20. जब भी निरीक्षण पल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्कूल पर आवे, तब उन्हें खदान/खदान/खदान के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आवकी द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना अपनी जिम्मेदारी होगी।
21. प्रशासन हेतु निश्चित क्षेत्र (घाटी तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), डील रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,500 कुर्डी का समान कुशलरूपम किया जाए। हरित पट्टी का विकास क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
22. प्रशासनिकता के अन्तर्गत खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अजुन, चीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 400 नग पौधों का रोपण (कुल 2,400 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या काठियार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं

- होने की दशा में संबंधित धान संघात द्वारा विन्धित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कृषारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पीछे का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त कृषारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। कृषारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
23. रोपित किये जाने वाले पीछे में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख कर्ता हुए फोटोग्राफस सहित जानकारी वाला प्रतिवेदन को साथ जमा करें।
 24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन कृषारोपण किये जाने एवं रोपित पीछे का सर्वाइवल रेट (Survival rate) को प्रतिवर्त सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कृषारोपण का स्व-स्वभाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करने हेतु मृत पीछे को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
 25. किये गये कृषारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अवैद्यार्थिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए जलसमृद्ध पर्यावरण संरक्षण बॉर्डर एवं एस.ई.आई.ए.ए. जलसमृद्ध को प्रेषित किया जाए।
 26. लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित/ प्रस्तावित अंतर पर वेब कैमरा (एक माह का स्टोरेज कॅपैसिटी सहित) लगाया जाए।
 27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिवर्धित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आई.ए.ए. से सहित प्रस्तावित कार्य करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
 28. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पब्लिकिटी इनट्र परलार्जमेंट होगा, उन स्थलों पर निर्धारित जल विक्रयण की व्यवस्था किया जाए।
 29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बायन्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
 30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बालू, चोकर, गहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों को संरक्षण एवं संरक्षण किया जाए।
 31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर राखनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। लीज ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले ध्वनियों को इमर्सन/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर विकिरणकारी जल एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कतया जाए।
 32. सखम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरंत विस्फोटक लाईसेंस वाला (Explosive License Holder) द्वारा सुचित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल स्टारिशन किया जाए। फस्टर के छोटे-छोटे टुकड़ों (सलाई रीस) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सखम व्यवस्था किया जाए। रेट डिजिटिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित डिजिटिंग किया जाए, जिससे इनट्र का उल्लार्जमें नियंत्रण में रहे।
 33. राखनन प्रक्रिया मू-जल स्तर के उन्नत अस्तंत प्रमाण में की जाएगी एवं राखनन प्रक्रिया मू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
 34. राखनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि बागीन स्थित वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में फटे जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण अपना ब्यवस्था होगा।





35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नीचे खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ नीचे खनिज नियम, 2015 के प्राधानी, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्राधानी का पालन किया जाए।
36. कार्य स्थल पर यदि केंचिंग अधिक कार्य पर लगाये जाती हैं तो ऐसे भवियों के आवास एवं सुखा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में ही सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाना जा सके।
37. भवियों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकित्ताहीन सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. भवियों का समय-समय पर आसपड़ोसवाले इलाके सहितैत बनाना आवश्यक है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वर्किस योजना, डिजाईन उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्भलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के अस्तंथन हेतु अधिकृत करता है।
41. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की संपरेका में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन का से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतिपी सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट pannesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में ही गई शर्तों के पालन हेतु की नई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में बदल शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

सम्बन्ध के वैज्ञानिकी/अभिलेखितों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली सैनित्त्व हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक राष्ट्रीयसंगठ पर्यावरण संरक्षण सम्बन्ध एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वानु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकेतमय और अन्य अधिशिष्ट (जका एवं सीमाकार संयोजन) नियम, 2018 तथा लोक सचिव वीन अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. समीक्षण में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. समीक्षण को पुनः गवीन जानकारी सहित सुचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए. समीक्षण इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। यद्यपि में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. समीक्षण / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. राष्ट्रीयसंगठ पर्यावरण संरक्षण सम्बन्ध पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उगले क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग बोर्ड एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल वीन ट्रीब्यूनल के सम्बन्ध, नेशनल वीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 38 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सहाय्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

सचिव, एस.ई.ए.सी.

भेसम पम्परी बिल्ड अर्बाके क्वारी एम्ब किल्ल विमनी प्वाट
(जे- श्रीमती अलिता जामरवाल) को खसत अन्नांक 1280 एवं 1281, घाम-पम्परी,
तहसील-वाङ्कनगर, जिला-बाजणपुर-गामानुजगंज, कुल लीज क्षेत्र 1.038 हेक्टेयर,
मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) अम्बटा (बिना विमनी मट्टा के) - 1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष
हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कम्पाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्वार्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 1.038 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) अम्बटा (बिना विमनी मट्टा के) - 1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन बनाकर प्लॉट मुहर लेनाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की कैंपला भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (पन्ना संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/08/2013 के अनुसार किसी मिट्टिल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/08/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित साईड-साईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. गामनीय एन.डी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा साईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया सू-जल स्तर के ऊपर असंतुप्त प्रमाण में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया सू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
7. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अथवा इसे प्रक्रिया में अथवा कुलरोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपरोक्त दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

111

Q

8. मू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय मू-जल बोर्ड से पराजगन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
9. खनिज उत्खनन के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न पर्युचिटिव इस्त उत्सर्जन का नियंत्रण ज्वाही एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैन्, संरक्षण क्षेत्र, भराई एवं अन्य इस्त उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इस्तन सतत संवाहन / संवहन सुनिश्चित किया जाए।
10. कच्ची ईट निर्माण में फेट डोक/दायरी/प्लास्टिक/खतरनाक अपशिष्टों का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए।
11. कड़नी एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1986 के तहत निर्धारित मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुसार रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संजालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12. कच्ची ईट निर्माण में तय कियुत संघर्षों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संजालय द्वारा कलाई देश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ठीक अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईट के टुकड़ों आदि को मू-मल एवं रीक के संधारण हेतु उपयोग किया जाए।
13. कलाई देश को उड़ने से बचाने के लिए समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जाने। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये की कलाई देश उड़कर आस-पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस-पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
14. उत्खनन के दौरान हटाई गई चपरी मिट्टी (टीम सॉईल) का उपयोग ईट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि को पुनः उदार हेतु अथवा कड़नी ओवरसर्जन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहाँ पर चपरी मिट्टी (टीम सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (सीनकनेटरी) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
15. ओवरसर्जन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सके एवं खनन के परचात बने नदइों में पुनःमल (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित ढग की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरसर्जन ढग का सरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कृषारोपण किया जाए।
16. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न किल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सखी जल स्तरों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु साईन पीट, ढग क्षेत्र में मिटेनिंग वॉल / कार्बोन्स ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
17. मिट्टी, कलाई देश एवं ईट का परिवहन तालवीलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भर जाना सुनिश्चित किया जाए।

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण संरक्षण योजना को अंजित किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
17.34	2%	0.3468	Following activities at nearby Govt. Primary School Village-Panatola	
			Water Tank Installation for Drinking water and Pipeline, Tap, Sanitary ware, drain line & others for Toilet	0.27
			Donation of Elnira & Books related to Environment Conservation	0.10
Total			0.37	

19. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरान्त संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करती हुई प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सकलता सुनिश्चित करना अपेक्षा उत्तरदायित्व होगा।

20. सी.ई.आर. कार्य एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में कुशांतरण कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु वि-क्षेत्रीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के महाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या अलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के महाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में कुशांतरण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त सही वि-क्षेत्रीय समिति से सत्यापित कराया जाए तथा वार्षिक रिपोर्ट एस.ई.आई.ए.ए. अलीसगढ़ में प्रस्तुत किया जाए।

21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर./ई.एम.पी. के तहत आरकॉ द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परावरण हेतु निश्चित क्षेत्र (कार्य तलक 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), होल ट्रेड, जोवरबर्न डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 118 पौधों का रोपण कुशांतरण किया जाए तथा उसे संरक्षित किया जाए। हरित पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

23. प्रत्यक्षता के अन्तर्गत खदान संरक्षण द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 नव पौधे लीज क्षेत्र के अनुसार बह, पीपल, नीम, करंज, सीसु, आम, इमली, अर्जुन, शीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण 3 पक्षियों में खदान के

सुरे क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जिसमें बैन लिंक तार को बांध जखता ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कृषारोपण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पीछों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त कृषारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। कृषारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जाएगी।

24. रोपित किये जाने वाले पीछों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्थात्तः रिपोर्ट को साथ जमा करें।
25. साईंजिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन कृषारोपण किये जाने एवं रोपित पीछों का सनसाईंजिंग रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कृषारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पीछों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
26. किये गये कृषारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं पीछों में नम्बरिंग परचातु फोटोग्राफ अर्थात्तः रिपोर्ट में समाहित करते हुये जलतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एल.ई.आई.ए.ए.) जलतीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
27. परियोजना इन्स्टाकक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. को तटवत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
28. जलसन्त क्षेत्र में क्षति प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
29. जलसन्त की प्रकिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनाभित्तियों एवं जीव-जन्तुओं की सुरक्षा एवं संरक्षण हो। उन पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न हो।
30. निम्नी जलसन्त जलतीसगढ़ ग्रीन बनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित जलसन्त योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
31. जलसन्त एवं कच्ची ईट निर्माण का कार्य सूक्ष्म एवं सूक्ष्मता के साथ ही कराया जाये।
32. कार्य स्थल पर यदि ब्रेकिंग क्षमिक कार्य कर लगाये जाते हैं तो ऐसे क्षमिकों की सुरक्षा एवं आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था असहायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
33. क्षमिकों के लिए खाना स्थल पर लच्छा केवल विभिन्नसकीय सुविधा, संबाइन टाबलेट आदि की व्यवस्था परियोजना इन्स्टाकक द्वारा की जाए।
34. क्षमिकों का समय-समय पर आकूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस करना आवश्यक है।
35. कार्य स्थल पर क्षमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों हेतु "क्या करें" (DOES) और "क्या न करें" (DON'TS) का बोर्ड लगाया जाये तथा सुरक्षा हेतु पर्याप्त सतर्कता बरती जाये।
36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आह्वय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी





निजी सम्पत्ति को मुक्तताम पहुँचाने अथवा अधिकृत अधिकारों को अधिकतम अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय तहसीलों/विधियों के संशोधन हेतु एकीकृत करता है।

37. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुवीक्षित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें निम्नी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एन. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
38. एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की समीक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्खनन / निस्काव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
39. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ अधिकांश, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट www.eshs.nctk.in पर भी किया जा सकता है।
40. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकपुर, एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
41. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की अनिश्चित की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये रिपोर्टों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
42. एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संकेत में की जाने वाली अनिश्चित हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करता नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
43. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। वे शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निर्वहन) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निर्वहन) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशिष्टों तथा और अन्य अधिसूचित (प्रवेश एवं सीमापार संघर्ष) नियम, 2008 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
44. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विफलता अथवा परिवर्तन होने की दशा में एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को





युव नवीन जानकारी सहित सुविधा किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने का मत निर्णय ले सके। अद्यतन में कोई भी विलयन अथवा उन्मयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

45. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्तर एवं पर्योग केंद्र एवं कलेक्टर/राजसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
46. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


सदस्य, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स आईम स्टोन कार्टी (प्री- प्री नीएज गंगवाल)

को कसता क्रमांक 1118/1 एवं 1118/2, कुल लीज क्षेत्र 1.37 हेक्टेयर, ग्राम-गौली,
तहसील-कुर्द, जिला-सगतरी से चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) उत्खनन - 28,723 टन
प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.37 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (टोर्न में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 28,723 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर चक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की कौटा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संबंधित) की प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार क्लस्टरिंग एवं परिवहन सड़कें एवं खदान से परिवहन सड़क तक चतुर्ध मार्गों के संयोजन का कार्य 8 माह में पूर्ण किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर नॉनितरिन कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह नॉनितरिन कार्य (जल, जल तथा मिट्टी) किया जाए। नॉनितरिन रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
5. मानवीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार को उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
7. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अतः इसे प्रक्रिया में अथवा क्लस्टरिंग हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोल्पीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की शुद्धता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

12

0

8. खनि पट्टा धारक खान संयोजन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किरी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खान गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रॉसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्स्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घात, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पन्नित हेतु उपयुक्त हो। परिषोजना प्रस्तावक द्वारा सख्त प्राधिकारी से अनुमोदित गाईड क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
9. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
10. किरी किरी / वेट / चाईट सोल से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। प्रकट, स्टीन, ट्रांसकर पाइप्ल (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न पार्टिकुलेट इन्स्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। धूलि मार्ग, रैन, संग्रहण क्षेत्र, भतई एवं अन्य इन्स्ट उत्सर्जन बिन्दुओं इन्स्ट कंटेनेन्ट कम स्वेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संयोजन /संभारण सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
11. वाहनों, खान एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1987 के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12. परिषोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
13. सीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 1.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेन्ट का क्षेत्र / बम्बडारन नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पड़े जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किरी भी समय संभवतः प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
14. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टीप सीईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाकी क्षेत्रों के लिए (स्टैबिलाईज) करने में किया जाए।
15. ऊपरी मिट्टी को सीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कम संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुुरुपयोग, विक्रम एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनर्भरण के लिए किया जाए।
16. ओवरलैंड एवं अनुपयोगी/बिड़ी अपयोग्य खनिज (वेन्ट रीज) को पृथक से पूर्व से चिन्हित स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाये ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सके। अन्य की ऊँचाई 3 मीटर तथा क्लोस 25 मिमी से अधिक न हो। ओवरलैंड डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

17. जहाँ एक समय दो औद्योगिक एवं अन्य अनुसंधानी/बिड़ी अवोम्य खनिज (वेस्ट पीक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःचलन (बैक फिलिंग) हेतु उपयुक्त किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा अतिरिक्त वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट सीधे क्षेत्र के आस-पास के सड़की जल खालों में प्रवाहित न हो। इसी रोकने हेतु माईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटैनिंग वॉल / कार्टेज्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
19. खनिज का परिवहन कच्ची राहों से किया जाए, ताकि खनिज राहों से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को सड़कों से अतिक्रमण नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
80	2%	1.60	Following activities at nearby, Village-Goji	
			Favira Van Niman	12.52
			Total	12.52

21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण होने पर संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्थात् रिपोर्ट में समाहित करने हेतु प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। कुशलतापूर्वक होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
22. सी.ई.आर. के अंतर्गत "चरित्र बन निर्माण" (आवला, पीम्, आम, करंज, कदम जासुन, अन्नास आदि) कुशलतापूर्वक हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नम पीपों के लिए राशि 13,200 रुपये, पीसिंग के लिए राशि 1,50,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा लकड़-लकड़ आदि के लिए राशि 2,16,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,60,700 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 5,71,500 रुपये हेतु वार्षिक रूप से निवृत्त प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत चरित्र बन हेतु ग्राम पंचायत के सहमति उपरंत ग्राम पंचायत गोजी अंतर्गत स्थायी स्तन खसत क्रमांक 844, क्षेत्रफल 5.98 हेक्टेयर में से 0.3 एकड़ में कुशलतापूर्वक कार्य के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
23. सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कुशलतापूर्वक कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामपंचायत/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जिलासमूह पर्यावरण संरक्षण समिति के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान में

- परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, संदर्भों के रख-रखाव एवं कुशलरक्षण का कार्य पूर्ण किये जाने से उपरोक्त सड़ित डि-वर्गीय समिति से स्थापित कराया जाए।
24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के लक्ष्मण झापके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
 25. रखरक्षण हेतु निश्चित क्षेत्र (घाटी तारक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हील रोड, ओवरबैंडिंग ड्रम आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,250 नमूने कुर्सी का सामान कुशलरक्षण ड्रम वर्क में किया जाए। उचित पट्टी का विकल्प क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
 26. प्रथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 नमूने प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नींबू, कर्ज, वीसू, आम, इनजी, कर्जुन, वीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 274 पौधों का रोपण (कुल 1,524 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण की सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या कॉटेदार तार के बड़े अथवा डी साई का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित प्राण पंचायत द्वारा विनियमित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कुशलरक्षण किया जाए। उपरोक्त कुशलरक्षण ड्रम वर्क में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त कुशलरक्षण ड्रम वर्क में पूर्ण किया जाए। 8 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। कुशलरक्षण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
 27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुए जिबोटेग (Geotag) फोटोग्राफ सड़ित जानकारी प्राप्त प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
 28. बाईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सामान कुशलरक्षण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कुशलरक्षण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के कुशलरक्षण की उत्कल बनाया आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
 29. किये गये कुशलरक्षण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अर्थवर्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए उत्तीर्णक पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय एवं सी.ई.आर. द्वारा उत्तीर्णक को प्रेषित किया जाए।
 30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के लक्ष्मण झापके द्वारा एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, डॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्राण में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
 31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर रखरक्षण क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों को इयरप्लग/कप आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्साकीय जांच एवं जागरूकता अनुसार समका उपचार भी कराया जाए।
 32. बंदूक लाइसेंसिंग का कार्य डी.जी.एच.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाई रोक्स) को उड़ाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सामान व्यवस्था किया जाए। बंद ड्रिलिंग

अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अस्थापित किये जाय, जिससे इन्स्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

33. उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर को कम असांतुष्ट प्रदान में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर को नीचे किसी भी परिमितता में नहीं किया जाए।
34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसभियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्भाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण अपना दायित्व होगा।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नीचे खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गैलियम विनियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
36. कार्य स्थल पर यदि केमिंग शक्ति कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे शक्तियों को आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
37. शक्तियों के लिए खनन स्थल पर स्थायक पेयजल विहितराजीय सुविधा, नौबाइल टायरेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. शक्तियों का समय-समय पर आकूपेशनल हेल्थ सर्वेलेस कराना आवश्यक है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अवशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा सेंट्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
41. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की सफलता से परिचलन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की वजह से किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निर्यात के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivash.nct.in पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में ही गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदाता शर्तों के पालन की भविष्य

की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों एवं आवेदन का पूर्ण रीट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संकेत में की जाने वाली वीनिलिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पावे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशुद्धकृत और अन्य अधिसूचित (प्रदूषण एवं बीमारों को नियंत्रण) नियम, 2013 तथा लोक सचिवालय विनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विघटन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने का मत निर्णय ले सके। प्रदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्मथन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती की एकले क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्तर एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सम्मुख, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.